TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 3, अंक : 06 आजमगढ़ • दिसम्बर 2023 • मूल्य : ₹30

INDIA

पुरानी पेंशन से परेशानी क्या?

मुस्लिम आरक्षण :
तेलंगाना चुनाव के बहाने...

बी पी सिंह :
याद किया दक्षिण वालों ने

संपादकीय

प्रकाश आज बिजली से मिलता है, और कई बार महीनों या साल भर तक बिजली जलती रहती है लेकिन याद कीजिए 30-40 साल पहले जब गाँव में आग को जिलाकर के रखा जाता था और गाँव भर के लोग मांगें-माँग कर, आग ला-कर चूल्हा जलाते थे। कल्पना कीजिए 300-400 साल पहले जब किरोसिन आयल या मिट्टी का तेल सतत रोशनी का सबसे बड़ा साधन बना। कल्पना कीजिए कि सतत रौशनी की मशाल किसने जलाए रखी। वो घी और तेल का अविष्कार जलाने के लिए शोध अध्ययन का विषय है। घी और तेल जो आज मोटापे का कारण बन रहा है, कभी सेहत और रौशनी का सबसे बड़ा साधन थे|

कैसे बना घी ? कैसे बना तेल? भैस- गाय-बकरी-भेड़ को कब पालतू बनाया गया, कैसे पालतू बनाया गया यह इतिहास की हजारों साल की यात्रा थी। जिन लोगों ने भैस के दूध की मानव जाति के लिए उपयोगिता तय की होगी, उनका नाम इतिहास में लिखा जाना बाकी है। दूध से दही बना बायोकेमिस्ट्री की उस लैब में जो गुमनाम वैज्ञानिक थे उनके वंशज आज इसी धरती पर भैंस-गाय बकरी चरा रहे हैं। ये इंडिया जिसके वैज्ञानिकों का कभी डंका बजता रहा होगा, जिन्होंने हड़प्पा जैसे नगर बसाए, क्या उन्ही लोगों से मिलते जुलते जेनेटिक लोगों ने दही से मथ कर घी निकला होगा? और सबसे बढ़कर इतने कीमती घी को आग में डालने वाला वो जाबांज, उत्साही, साहसी वैज्ञानिक जिसने आग में घी डालने का प्रयोग किया। बसावन इंडिया उसे सैल्यूट करती है। दीपावली, दीपदान उत्सव, प्रकाश पर्व और क्रिसमस जैसे तमाम प्रकाश उत्सवों की शुभकामनाओं के साथ बसावन इंडिया हाज़िर है।

(उपरोक्त अंश इसी पत्रिका से है।)

TITLE CODE : **UPHIN49731**
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह-दिसम्बर
सन्-2023 ▪ वर्ष-3 अंक-06

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप
मो.: +91 94531 71770

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू
मो.: +91 99211 10844

प्रबंध संपादक
एड. देशराज (लखनऊ)
मो.: +91 9415767238

सह प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
विक्रमजीत, सुधा सिंह,
कमलेश यादव, मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर-परिभाषा
छत्तीसगढ़-डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश-तेजबहादुर
महाराष्ट्र-अकाश खोब्रागड़े
राजस्थान-डॉ. कालूलाल कुलमी
लखनऊ-विनीत कुमार
प्रयागराज-धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर-कोमल प्रसाद
पूर्वांचल-रमामांत यादव
मिर्जापुर-एस.एम. सबा
बलिया-विनय कुमार
देवरिया-डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर-डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग-कृष्णा पैकरा

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान-+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वार, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व शहीद द्वार सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन- 276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

पुरानी पेंशन से परेशानी क्यों?	2
इंडिया बनाम भारत	8
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव	15
मुस्लिम आरक्षण बनाम भागीदारी : तेलंगाना चुनाव के बहाने	17
जातीय जनगणना रिपोर्ट : ग्राम पंचायत केवटली, जिला प्रतापगढ़, उ. प्र.	19
प्रदेश में मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के पदों पर जाति विशेष का दबदबा	20
निशाने पर प्रोफेसर	23
जेलों से जिसका नाता है...	27
कुछ तो ख़ास है संविधान में?	30
पुस्तक समीक्षा-निषाद समाज का वृहत इतिहास	34

www.theforthstate.in
बसावन इंडिया के आर्टिकल्स द फोर्थ स्टेट डॉट इन पर भी पढ़े जा सकते हैं।

12 **महिला आरक्षण विधेयक**-देश में आधी आबादी (महिलाएँ) पिछले एक दशक से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रही है। हाल ही में, लोकसभा और...

22 **P- पिछड़ा D- दलित A- अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी?**- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश...

24 **प्रतीकों के बहाने...**-संविधान दिवस 26 नवम्बर के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता विधिवेत्ता बाबा साहेब...

32 **दीपावाली स्पेशल प्रकाश पर्व के बहाने**- जब मानव ने पहली बार आग जलाई होगी तो यह उसकी कल्पनाओं से परे रहा होगा कि...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

पुरानी पेंशन से परेशानी क्यों?

पेंशन शंखनाद रैली, दिल्ली

अक्टूबर माह में दिल्ली के राम लीला ग्राउंड में ओल्ड पेंशन को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुआ। देश भर से सरकारी सेवाओं में लगे कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर व्यापक धरना प्रदर्शन किये। राम लीला मैदान पर देश भर के कर्मचारी इकट्ठा हुए। उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जो 2004 में भाजपा सरकार द्वारा ख़त्म कर दी गई थी।

▪ नरेन्द्र प्रताप

क्या है पुरानी पेंशन योजना?

बात अगर ओल्ड पेंशन योजना की करें, तो इसमें कर्मचारी के सेवा काल के आखिर के वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में आजीवन किया जाता था। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता था। हालांकि, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 2003 में इस पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। अब उसी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं।

पेंशन रैली में भाग लेते हुए कर्मचारियों का हुजूम

पेंशन रैली में उमड़ा कर्मचारियों का हुजूम

"पेंशन कोई बख्शीश नहीं है, कोई भीख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन को पेंडिंग वेतन माना है, हमारे वेतन का कटा हुआ भाग हमें पेंशन के रूप में दिया जाता है।

सरकार तर्क देती है कि देश के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। देश का विकास रुक जाता है लेकिन में हजारों करोड़ पूंजीपतियों के माफ़ किए जाते हैं, तब देश का विकास नहीं रुकता है?

पेंशन के नाम पर कर्मचारियों का 10% वेतन काट लिया जाता है और 14% सरकार देती है। देश में केंद्र और राज्यों को मिला कर लगभग 80 लाख कर्मचारी हैं। मान लिया जाए कि किसी प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 15 से 25 हज़ार रुपए की कटौती पेंशन के नाम पर की जाती है, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में 5 हज़ार से 15 हज़ार और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 3 हज़ार की कटौती की जाती है। यदि इन में औसतन एक कर्मचारी के वेतन की कटौती 10 हज़ार मान लिया जाय तो ऐसे 80 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती हर माह की जाती है। देश महीने भर में अरबों का खेल है। इसे उधोगपति ले जा रहा और शेयर मार्केट में लगा रहा है पैसा किसका है? सरकार का और सरकारी कर्मचारी का, लगा कौन रह है प्राइवेट व्यक्ति। हमें श्योरटी न तो सरकार दे रही है और न ही वह व्यक्ति। हमें नहीं पता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता है। पूरी पेंशन आन्दोलन की लड़ाई सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। पेंशन के के लिए 10% तो कट रहा है लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायर होने वाले लोगों को उतना भी नहीं मिल रहा है जितना कि उनके वेतन से कटौती हो रही थी। किसी को 600 तो किसी को 900 रुपए मिल रहे हैं। एनपीएस से अब तक ज्ञात अधिकतम पेंशन की राशि 3800 है।"

- **विजय कुमार बंधु,** राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS

पेशन ख़त्म कैसी हुई

केंद्र में अटल विहारी वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2004 में केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कर दी बाद में राज्य कर्मचारियों की भी पेशन ख़त्म कर दी गई। प्रश्न उठता है कि कर्मचारियों की 30 से 35 वर्ष सरकारी सेवाओं में बिताने के बाद उनके शेष जीवन के सहारे के लिए जो भुकतान मिलता था उसे खत्म क्यों किया गया? एक लम्बा समय सरकारी सेवा में गुजरने के बाद व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता और न ही वह कुछ करने लायक रह जाता है। ऐसे में पेशन ही एक मात्र सहारा होती थी जो उसके और उसकी पत्नी के सम्मानपूर्वक जीवन के लिए आवश्यक था अंग्रेजी में एक कहावत है कि बुढ़ापे में पत्नी और पैसा ही काम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म करने के पीछे तर्क दिया था देश में एक बड़ी धन राशि कर्मचारियों को पेंशन देने में चली जाती है लेकिन पेंशन ख़त्म किये जाने के पीछे का कारण आर्थिक कम, सामाजिक अधिक था।

जाने माने चिंतक डॉ लाल रत्नाकर का कहना है कि '1990 के दशक में वी पी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन की संस्तुतियों के लागू किए जाने से नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी थी। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था। अब इस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी को मिला कर लगभग पचास फ़ीसदी पद आरक्षित हो गए।' यानि की सरकारी सेवाओं में आधी भागीदारी

पेंशन रैली में जाते हुए कर्मचारी

आरक्षित वर्ग के लोगों की थी यदि आरक्षण को ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाता तो यह सीमा आधे से अधिक भी हो सकती थी। 52 फ़ीसदी से अधिक आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में बांध दिया गया। कोर्ट ने भी आरक्षण की सीमा को पचास फ़ीसदी के दायरे में बांध दिया अब भले ही सवर्णों को दिए जाने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पचास फ़ीसदी की सीमा को नजरंदाज कर दिया है।

दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के कारण पेंशन को समाप्त कर दिया गया यह बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जब आरक्षित श्रेणी के टीचर और छात्र ठीक-ठाक संख्या में पहुंचने लगे तो विश्वविद्यालयों की व्यवस्था ही ध्वस्त होती चली गई। उच्च शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा की जाने लगी। शिक्षा क्षेत्र को निजी हाथों में सौपा जाने लगा। अब बड़े पैमाने पर निजी विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। जब विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के टीचर मोटी पगार और विद्यार्थी डाक्टरेट जैसी उच्च डिग्रियां हासिल करने लगे तो उनके सरकारी सेवाओं में जाने के अवसर ख़त्म होने लगे।

> “पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। जब से नई पेंशन योजना लागू होने के बाद जो भी शिक्षक, कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको बहुत कम मात्रा में पेंशन मिल रही है जिससे उनका गुजर-बसर होना संभव नहीं हो रहा है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहल किया जाए| (03 अगस्त 2022 को सदन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए)”
>
>
> श्याम सिंह यादव
> सांसद जौनपुर

पुरानी पेंशन ख़त्म किये जाने के पीछे सरकार का तर्क

मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही। मतलब आय का कोई जरिया नहीं था और भुगतान की राशि में लगातार इजाफा होते जा रहा था।

भारत सरकार के बजट में हर साल पेंशन के लिए प्रावधान किया जाता है। भविष्य में साल दर साल भुगतान कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी।

एक तरफ पेंशन की देनदारियां बढ़ती जा रही थीं तो दूसरी ओर हर साल पेंशनर्स को दी जाने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी। मतलब महंगाई भत्ता, डीए से पेंशन भुगतान की राशि में और भी इजाफा होने लगा था।

पिछले तीन दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई।

नई पेंशन योजना क्या है ?

सरकार ने नई पेंशन योजना को साल 2004 में शुरू किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके तहत वो अपने पूरे कैरियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। यही नहीं, एनपीएस में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट

इतिहास में पेंशन दिए जाने के प्रमाण

मौर्य कालीन पुस्तक अर्थशास्त्र में कर्मचारियों को सेवानिवृति के उपरांत पेंशन दिए जाने के प्रावधान हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार पेशन से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलता है। देश की एकता और अखंडता को बल मिलता है क्योंकि उच्च पदों पर पद्स्थ अधिकारी और कर्मचारी को सेवा निवृति के पश्चात् पेंशन मिलती है तो पेंशन की वजह से गोपनीयता बनी रहती है। पेंशन के आभाव में सेवानिवृत कर्मचारी शत्रु देशों में जा सकते हैं और उपयोगी गोपनीय जानकारियों को लीक कर सकते है।

मध्यकालीन इतिहास पुस्तकों में राज्य द्वारा पेंशन दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत में भी पेंशन दी जाती थी। अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को वर्मा में निर्वासित जीवन जीने के लिए पेंशन मिलती थी।

देश प्रजातंत्र लागू होने के पश्चात भी शासकों को पेंशन दी जाती रही हैं। लखनऊ के नबाबों को तो आज भी पेंशन मिलती है। यद्यपि आज की तारीख में पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि बहुत न्यून है, जिसका कारण उनके उत्तराधिकारियों की संख्या और मुद्रा का महत्त्व का घट जाना है।

पुरानी पेंशन के लिए विरोध तब क्यों नहीं हुआ?

पुरानी पेंशन जब समाप्त की गई तो उस समय भी नौकरियों में सवर्णों का प्रतिनिधित्व अधिक था लेकिन पेंशन के लिए उस समय बहुत व्यापक आन्दोलन नहीं हुआ यह बहुत आश्चर्य जनक है। उनके आन्दोलन न करने के पीछे उनका आर्थिक रूप से सबल होना कारण रिटायरमेंट के बाद उनके पास आजीविका के और भी साधन थे मकान, दुकान, जमीन, जायजाद, बिजनस व्यापार सभी कुछ था जिसके कारण पेंशन समाप्ति पर कोई विकराल आन्दोलन नहीं हुआ। इसके इतर पिछड़ा तबका जो अभी-अभी नौकरियों में आया था, उसकी यह स्थिति नहीं थी की वह पुरानी पेंशन को लेकर कोई आन्दोलन खड़ा कर सके, लगभग ऐसी ही स्थिति दलितों की थी जिनके यहाँ आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था कि वे अपनी नौकरी को दांव पर लगा कर आन्दोलन करें।

दुश्मन घर में ही?

पुरानी पेंशन को लेकर सरकार बहुत गंभीर नहीं हैं। आप अपने आस पास के किसी प्राथमिक विद्यालय पर चले जाइए। आपको आराम से दिख जाएगा कि विद्यालय में आधे से अधिक स्टाफ संविदा पर है चाहे वह रसोईयाँ हो अथवा शिक्षा मित्र। संविदा के ये कर्मचारी क्यों चाहेंगे कि आपको पेंशन मिले। यहाँ हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है।

बसावन इंडिया ने बानगी के तौर पर बाराबंकी और आजमगढ़ जिले के एक एक विद्यालयों की गणना की। राजकीय इंटर कालेज गौसपुर, बाराबंकी में 10 लोगों के स्टाफ में केवल दो शिक्षक, दो क्लर्कियल स्टाफ स्थायी हैं, शेष 06 पी. टी. ए. के तहत रखे गए संविदा टीचर हैं। यानि साठ फ़ीसदी स्टाफ़ की नौकरियां संविदा की हैं। प्राथमिक विद्यालय, ओरिल में तैनात कर्मचारियों की गणना की। प्राथमिक विद्यालय ओरिल में कुल 10 लोगों के स्टाफ में स्थायी शिक्षकों की संख्या 04 है जबकि 06 संविदा कर्मी हैं जिनमे से 02 शिक्षा मित्र हैं शेष 04 रसोईयाँ। यह प्रदेश के दो विद्यालयों की तस्वीर हैं, कमोबेश उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों में यही स्थिति है।

राजकीय इंटर कालेज गौसपुर
बाराबंकी

प्राथमिक विद्यालय ओरिल
आजमगढ़

हो जाता है, तो इसके बाद उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने की छूट मिलती है। वहीं, बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। यहां समझ लें कि एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसमें एकमुश्त निवेश करना होता है और आप इसे हर महीने, 3 महीने में या साल भर में निकाल सकते हैं।

रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। जबकि, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। आटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के अनुसार 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकारी सेवा में आये कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक छलावा साबित हुई है। जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके साथ भारी अन्याय हो रहा है।

पुरानी पेंशन पर राजनीति

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना शुरू किया, धरना प्रदर्शन के चलते विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों के बढ़ाते दबाव को देखते ही कुछ राज्यों में अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू किये जाने की घोषणा कर दी है। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली बड़ा मुद्दा रहा। हिमांचल, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू कर दी, जबकि आप ने पंजाब में इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान अशोक गहलोत ने तो पुरानी पेंशन को लेकर अख़बारों में बाकायदा बड़े बड़े विज्ञापन जारी किये। अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन दिए जाने का वायदा किया है। लेकिन वायदे चुनावों तक ही सीमित रह जाते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष में रहते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए पत्र लिखकर पैरवी की थी।

न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी

बात अब आरक्षण और पेंशन से ऊपर निकल चुकी है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कटौती तो की ही जा रही थी, और जो आ रही हैं संविदा प्रक्रिया से आ रही हैं। संविदा पर काम कर रहे कर्मियों में हमेशा निकले जाने को लेकर असुरक्षा का भाव होता है। इसके अलावा किसी एक निजी फर्म को काम का ठेका दे दिया

पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कोर्ट

विभिन्न वादों की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा पेंशन को लेकर दी गई प्रतिक्रियायें, जिनमे प्रमुख हैं-

- "पेंशन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है और इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा छीना नहीं जा सकता है।" - **सुप्रीम कोर्ट**
- "पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को संपत्ति माना जाता है। ये लाभ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के तहत संरक्षित हैं। पीठ ने कहा कि ऐसे लाभों को कानूनी प्रावधान के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है।" - **इलाहाबाद उच्च न्यायालय**
- **हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट** ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना किसी पर एहसान करना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अपनी सर्विस के कार्यकाल के दौरान लंबी और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करता है उसका बाद ही वो पेंशन पाने का हकदार होता है।
- **मुंबई हाई कोर्ट** के नागपुर बेंच ने कहा कि, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देय पेंशन संपत्ति है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत आजीविका के लिए गठित मौलिक अधिकार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पेंशन से वंचित रखना अस्वीकार्य है।

अटेवा (A.T.E.W.A.)

आल इंडिया टीचर्स एंड इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों व सभी श्रेणियों के कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा है जिसे भारत के अन्य राज्यों में नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम (N.M.O.P.S.) के नाम से जाना जाता है। यह पूरे देश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है।

जाता है। देश में अधिकतर उपक्रम सार्वजानिक क्षेत्र के हुआ करते थे जिस पर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। बड़े पैमाने पर भर्तियाँ निकलती थी। भारतीय रेलवे देश मे सबसे बड़ी नियोक्ता हुआ करती थी जिसमे कभी 22 लाख कर्मचारी/ अधिकारी हुआ करते थे, आज रेलवे में कर्मचारियों की संख्या घट कर 12 लाख के आस-पास पहुँच गई है। मतलब रेलवे की 10 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई। इन 10 लाख लोगों में से कम से कम 5 लाख कर्मचारी आरक्षित वर्ग से होते लेकिन अब रेलवे के अधिकतर काम ठेके पर करवाए जाते हैं। ये रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के गले की फांस बन जाते। इनका आवागमन फ्री था और ठीक ठाक पेंशन से ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से आते जाते थे और प्रगतिशील विचारों को फ़ैलाने में बहुत ही कारगर थे|

इन पांच लाख और भारत सरकार के अन्य विभागों व प्रदेश सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिला कर संख्या लगभग 50 लाख तक

क्या सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद हो जानी चाहिए?

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद होने के बाद अगला सबसे बड़ा निशाना सांसदों और विधायकों की पेंशन है। इसको कभी भी बंद किया जा सकता है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के क्रम में कई बार सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद किये जाने की वकालत करते नजर आते हैं। उनका तर्क होता है कि यदि 30 साल की सेवा के बदले उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है तो पांच साल की सेवा के लिए सांसदों और विधायकों को पेंशन क्यों? सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद किया जाना कर्मचारियों की पेंशन समस्या का समाधान नही। यदि सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी तो समाज में जुझारू किस्म के धरातल पर लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों का अकाल पड जाएगा। देश में बहुत से ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनके खर्च का एक और एक मात्र जरिया उनकी पेंशन है जिसकी बदौलत वे समाज की लड़ाई लड़ते हैं|

पहुंच जाती है। ये वो लोग थे, जो अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लाठी उठाने वाले लोग थे|

इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, कि जब केवल SC/ST का आरक्षण था, तो रेलवे में SCकी संख्या 22 लाख का 15% यानि 3 लाख के आस पास जाती है, यही 3 लाख लोगों में से अगर 10-20 हज़ार लोगों ने झंडा उठाया, पूरे देश में जा कर परचा बांटा जिसकी उपज और फल के रूप में कांशीराम जैसे नेता का उदय हुआ। यही बात मनुवादी ताकतें जानती थी। और ओबीसी के आरक्षण के बाद सामाजिक न्याय की लाठी उठाने वालों की संख्या कई गुणा बढ़ने वाली थी। इसीलिए पेंशन ख़त्म की गई कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।

बामसेफ ने देश देश की राजनीति ही नहीं बल्कि समाज अर्थ संस्कृति सब जगह हस्तक्षेप किया। 80-90 दशक के उभरे बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के नेताओं, यूपी में मुलायम सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, बिहार में लालू, नितीश, पासवान की तिकड़ी, शरद यादव जैसे नेताओं को चंदा देने से लेकर उनकी बातों को आगे बढ़ाने का कार्य सरकारी कार्यालयों के ड्राइवर, चपरासी और बाबुओं ने उठाया। इसीलिए सबसे पहला शिकार ड्राइवर हुए और सबसे पहले ड्राइवरों की सरकारी भर्ती बंद हुई, ड्राइवरों में सबसे बड़ी संख्या दलितों और पिछड़ों की हुआ करती थी। उसके बाद चपरासी ठेके पर आए और बाबुओं का स्थान डाटा एंट्री आपरेटरों ने ले लिया जिसको कभी पेंशन तो छोड़िये, कभी भी नौकरी से नहीं बल्कि काम से हाथ धोना पड़ता है।

इसी कारण इस पर अंकुश लगाया गया। इसके आलावा रेलवे का संचालन बहुत कुछ निजी हाथों में सौप दिया गया है। किसी न किसी रेलवे ट्रैक पर भारतीय रेलवे की जगह आडानी रेलवे की मालवाहक ट्रेन आराम से दिख जाएगी। थीरे धीरे रेलवे के निजी हाथों में जाने से अब न तो रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी और न ही फ्री आवागमन की सुविधा| ▪

बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका *का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।*

इंडिया बनाम भारत

हाल ही में जब से एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन कर मोर्चा खोला है इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार इंडिया शब्द को लेकर अधिक प्रतिक्रियावादी हो गई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों ऐसे योजनाएं थी जिसमें की इंडिया शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा था। शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जोर-जोर से प्रचार किया गया लेकिन जैसे ही एनडीए बनाम इंडिया हुआ वैसे ही मोदी सरकार और उसके समर्थक इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक मानने लगे और उसे घमंडिया बोलने लगे।

▪ नरेन्द्र प्रताप

पहले सरकार ने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्लामिक प्रतीकों को नष्ट करने का प्रयास किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया, जबकि मुग़ल गार्डन का मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, इसका निर्माण मुग़ल शैली पर होने के कारण अंग्रेजों ने इसका नाम मुग़ल गार्डन कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम जो मुसलमान शासकों या उनसे जुड़े हुए थे, को बदलने का काम किया जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या। इसी तरीके से अब भाजपा और उसके समर्थक इंडिया शब्द को विदेशी बता रहे हैं जबकि अंग्रेजी हुकुमत में ही देश की 85% जनसंख्या को न्याय मिला इससे पहले तो उनकी गुलामी की ही स्थिति थी, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है।

क्या कहता है संविधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है India that is Bharat अंग्रेजी में और हिंदी में इंडिया अर्थात भारत,राज्यों का एक संघ होगा । इंडिया शब्द को भारत का पर्याय माना गया है। हिंदी में भारत तो अंग्रेजी में इंडिया का इस्तेमाल होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंडिया को सिर्फ भारत करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरुरत होगी। लोकसभा में वर्तमान में 539 सांसद हैं लिहाजा संशोधन के लिए 356 सांसदों के समर्थन की जरुरत होगी। वर्तमान में भाजपा और उसके सहयोगी दलों यानि एनडीए के पास 332 संसद है। वही वर्तमान में राज्यसभा में 238 सांसद है, वहां पर बिल पास करवाने के लिए 157 सदस्यों की जरुरत होगी|

ओ. पी. पाल
सामाजिक चिंतक

"अब भारत को स्वदेशी और इंडिया को विदेशी बता कर दोनो में अंतर पैदा कर दिया गया। अभी तक बाबा राम देव के उत्पादों पर मेड इन भारत लिखकर आता था। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकार ने मेक इन इंडिया का जोर शोर से प्रचार किया।भारत शब्द हिंदू राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है क्यों कि संघ के एजेंडे में बार-बार अखंड भारत का जिक्र आता है। वैसे भी संघ प्रमुख मोहन भागवत इंडिया शब्द न उपयोग किये जाने की हिमायत कर चुके हैं। जहाँ तक बात इंडिया की हो रही है तो दिल्ली में ज्यादातर वास्तु को तथाकथित रूप से विदेशी कहे जाने वाले शासकों ने ही किये हैं, चाहे पुरानी दिल्ली का लाल किला हो या लुटियंस की बसाई नई दिल्ली। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट प्लेस का क्या होगा? यदि हम विदेशी शासकों से परहेज करते हैं तो क्या हम कोई नई राजधानी बसाएँगे जिसपर विदेशी शासकों की छाप न हो?"

संविधान के अनुच्छेद से छेड छाड़

मायावती
पूर्व मुख्यमंत्री

भारत अर्थात् इण्डिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संवैधानिक नाम है तथा बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जनकल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों के मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है जिसे बदलकर व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या यह उचित व न्यायसंगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का यह मानना है कि यह कतई भी उचित व न्यायसंगत नहीं है अर्थात् यह घोर अनुचित है इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई यह है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को यहाँ खुद विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति व षड़यन्त्र के तहत् अपने गठबन्धन का नाम 'इण्डिया' रखकर इनको दिया है। या फिर यह कहा जाये कि यह सब कुछ सत्तापक्ष व विपक्ष की अन्दरुनी मिलीभगत से हो रहा है।

पिछड़ों दलितों आदिवासियों की उन भावनाओं का क्या होगा जिसमे उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके लिए तो शिक्षा समानता न्याय और बंधुत्व का पहली बार स्वाद इंडिया में ही मिला भले ही वो विदेशी थे।

यदि नाम बदला जाता है तो

किसी शहर या राज्य का नाम बदलने में कितना खर्च होता है?

भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों अलग अलग शहरों के नाम बदले गए। इनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा। यहां की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इलाहाबाद का प्रयागराज होना। अब अगर किसी शहर के नाम बदलने पर आने वाले खर्चे की बात करें तो वो तकरीबन 200 से 500 करोड़ रुपये के बीच होता है। वहीं किसी राज्य के नाम को बदलने पर खर्च की बात करें तो ये पांच सौ करोड़ से कही ज्यादा हो जाता है।

देश का नाम बदलने पर कितना पैसा खर्च होगा?

जाहिर सी बात है जब किसी शहर या राज्य का नाम बदलने पर कई सौ करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं तो देश का नाम बदलने पर उससे कहीं ज्यादा खर्च होगा। साल 2018 में स्वाजीलैंड नाम के एक अफ्रीकी देश ने अपना नाम बदलकर ईस्वातिनी कर लिया था। उस वक्त इस छोटे से देश का नाम बदलने में लगभग 60 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। जिस मॉडल के आधार पर इस आंकड़े की गणना की गई है, उसी आधार पर अगर अपने देश का नाम चेंज किया गया तो खर्च लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के आस पास होगा|

भारत नाम पर तो कोई कापी राइट होगी नहीं।

केजरीवाल
मुख्यमंत्री दिल्ली

"फिर इसलिए कि कुछ पार्टियां एक साथ आईं और एक गठबंधन बनाया और इसका नाम इंडिया रखा, आप देश का नाम बदलना चाहते हैं?मान लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन एक बैठक करता है और इसका नाम बदलकर 'भारत' करने का फैसला करता है।.. तो क्या वे फिर से नाम बदल देंगे? तो क्या वे भारत का नाम भाजपा रखेंगे ? देश 140 करोड़ लोगों का है, यह कोई मजाक नहीं है।" "यह हमारा देश है।.. यह हजारों साल पुराना है और इसका एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा है और आप इसका नाम बदलना चाहते हैं क्योंकि गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है।"

विदेशी यात्रियों ने देश को किस नाम से जाना

प्राचीन काल में भारत का स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा की आज है यह अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग शासको के अधीन रहा है जिसको अलग-अलग नाम दिए गए थे विदेश से आने वाले प्रमुख यात्रियों ने इसके अलग-अलग क्षेत्र को अलग-अलग नाम से पुकारा है। भारत के अंग्रेजी नाम इण्डिया (अंग्रेजीः India) की उत्पत्ति इण्डस (सिंधु) शब्द से हुई है जो यूनानियों द्वारा चौथी सदी ईसा पूर्व से

चीनी यात्री व्हेनसांग

दुष्यन्त पुत्र भरत

"होनहार बिरवान के होत चीकने पात" इस कहावत का आशय यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए, जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी व साहसी बालक भरत थे।

भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त के पुत्र थे। राजा दुष्यन्त एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे वहाँ शकुन्तला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुन्तला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यन्त शकुन्तला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुन्तला को एक अँगूठी दे दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुन्तला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यन्त के बारे में सोच रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुन्तला दुष्यन्त की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुन्तला ने उनका आदर-सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुन्तला को शाप दिया कि 'जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा'।

शकुन्तला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा- मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता किन्तु दुष्यन्त द्वारा दी गई अँगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा'।

कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आये तो उन्हें शकुन्तला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भाँति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुन्तला के पास राजा द्वारा दी गयी अँगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यन्त अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुन्तला को पहचान नहीं सके। निराश

शकुन्तला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यन्त के पुत्र भरत का जन्म हुआ।

भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़ कर उनके दाँत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कह कर पुकारते थे।

समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अँगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुन्तला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अँगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताजा हो गई।

शकुन्तला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँच गए जहाँ शकुन्तला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यन्त ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यन्त ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया।

दुष्यन्त ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुन्तला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा-दीक्षा हुई। दुष्यन्त के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार सम्पूर्ण आर्यावर्त (उत्तरी और मध्य भारत) में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता (सद्भावना) स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बाँट कर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई।

सिंहों के साथ खेलने वाले इस 'भरत' के नाम पर ही हमारे देश का नाम 'भारत' पड़ा।

प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली भरत की कहानी

प्रचलन में है। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है। ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय जीवन परंपराओं और रीति रिवाज का वर्णन किया है। 629 ईसवी सन् में व्हेनसांग ने सी यू की नाम से भारत का यात्रा विवरण चीनी भाषा में लिखा है जिसमे वह भारत के लिए इंतू शब्द का प्रयोग करता है।

भारत नाम कैसे पड़ा

बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता था कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यही हुआ था इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। यह भी लोग मानते हैं कि मिथकीय ग्रंथ राम चरित मानस के पात्र राम के भाई भरत के नाम पर या जम्बूदीपे भात खंडे के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा|

देश के परंपरागत कबीलों के नाम पर भारत

ऐसा माना जाता है कि पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु और तुर्वस देश के प्राचीन कबीले थे। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भरत कहते थे। भरत कबीले का नेतृत्व सुदास के हाथों में था, दाशराज्ञ युद्ध या 'दस राजाओं का युद्ध'- में मिली सफलता के पश्चात् भरत कबीले का सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। ये भी माना जाता है कि यही भरत कबीला आगे गंगा के तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया,उनका राज्य भारत कहलाया|

प्रो. कंचा इलैया
विश्व विख्यात चिंतक
और समाज विज्ञानी

भारत और इंडिया के बीच क्या अंतर है मेरी बेसिक समझ है कि हमें देश को इंडिया के नाम से पुकारना चाहिए|इसके पीछे साधारण सा कारण है यह नाम इंडस से आया है, इंडिया की महान सभ्यता की उत्पादन करक शक्तियां- ये दलित, आदीवासी, शूद्र लोग अपने उत्पादन से अपने श्रम से उस सभ्यता को उत्पन्न किया था। जब ब्राह्मणवाद नहीं था,जब जाति नहीं थी। वह सभ्यता, मिश्र की मेसोपोटामिया सभ्यता और इजराइल की नेटूफियन सभ्यता से ज्यादा महान सभ्यता, हमारे पुरखों ने बनाया था। यह इंडिया नाम वहां से आया। पहले इंडस शब्द ग्रीक गया, अलेक्जेंडर के बाद वहां से इटली आया, फहियान के आने के बाद यह चीन गया। इंडस से इंडे अब इंडिया नाम स्थापित हो गया। लेकिन भारत क्या है, भारत नाम रामायण से आया दशरथ के एक पुत्र का नाम भरत था। इंडिया नाम में कोई लैंगिक भेद नहीं है। यहाँ कोई महिला और पुरुष के नाम का भेद नहीं है लेकिन भारत शब्द पुरुष प्रधान है। महाभारत में भी भरत हैं। यह पुरुष नाम हैं। हमें देश को केवल और केवल इंडिया के नाम से जानना चाहिए।

नाम बदलने को लेकर किसने क्या प्रतिक्रिया दी

सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश का नाम बदलने की सोच संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर का विरोध करने के बराबर है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक से क्या हो गया, दुनिया हमें इंडिया नाम से जानती है। ममता बनर्जी ने कहा, 'मैंने सुना है कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए जी20 के निमंत्रण पत्र पर भारत लिखा हुआ है। अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, इंडियन कांस्टिट्यूशन कहते हैं, जबकि हिंदी में हम इसे भारत का संविधान कहते हैं|'

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ने कहा, 'मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि वह मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी अपनी कई पहलों और कई योजनाओं का क्या करेंगे। अगर वह इंडिया नाम रखने वाली हर संस्था का नाम बदलने की कवायद शुरू करते हैं तो इससे सरकारी खजाने पर एक राज्य की जीडीपी के बराबर बोझ पड़ेगा|

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, 'यह अजीब स्थिति है।.. यह भारत का संविधान है। सदियों से देश को इसी तरह से जाना जाता रहा है और हमें अपना स्वतंत्र भारत इसी तरह विरासत में मिला है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है, इंडिया, जो भारत है, राज्यों का एक संघ है।'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इंडिया को भारत कहने में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, जो कि देश के दो आधिकारिक नामों में से एक है। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि उस 'इंडिया' नाम को पूरी तरह से खत्म कर दे, जिसकी सदियों से एक बड़ी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है।

हिंदुस्तान

ईरान, जिसे तब फारस कहा जाता था, के राजा डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिन्दू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार डेरियस ने अपना राज्य सिंधु की तलहटी तक फैला लिया था। डेरियस के शिलालेखों में हिंदू एक भौगोलिक इकाई थी लेकिन जब पकिस्तान की तर्ज पर हिंदुस्तान ने 'हिन्दुओं का स्थान' की जगह ले ली है, जो इक़बाल के उस हिन्दोस्तां से जुदा है। तब मोहम्मद इक़बाल ने "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" की रचना क्यों की थी? क्या आज के हिन्दोस्तां में मुसलमानों, ईसाईयों सिखों दलितों अछूतों और बिना किसी धर्म के लोगों के लिए भी जगह रहेगी ?

हिन्दुओं के स्थान के रूप में हिंदुस्तान शब्द का महत्व ये है कि हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक विनायक दामोदर सावरकर भारत नाम के बजाय हिंदुस्तान को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं|

हिंदुस्तान को बढ़ावा क्यों और कैसे

हिन्दुओं के स्थान और हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में पहचान स्थापित कर करने के लिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जन-जन तक हिंदुस्तान नाम पहुंचाया गया। कांग्रेस सरकार में स्थापित सार्वजानिक क्षेत्र के कई उपक्रमों का नाम हिंदुस्तान नाम से किया गया। जिसमे हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसे संक्षिप्त में एचएमटी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान ऐरोनाटिकल लिमिटेड जैसे नामो को जन-जन तक पहुचाया गया। हिंदुस्तान समिति की स्थापना की गई। हिंदुस्तान संगीत समिति की स्थापना की गई, जिसमे से हिंदुस्तान में बसने वाली अलग-अलग जातियों के परम्परागत लोक संगीत को जगह नहीं मिल सकी। बिरहा,नकटा, जैसे संगीत को हिन्दुस्तानी संगीत में जगह नहीं मिल सकी। ▪

नरेन्द्र प्रताप
मो.न. +91 94531 71770

डॉ. लाल रत्नाकर

महिला आरक्षण विधेयक

देश में आधी आबादी (महिलाएँ) पिछले एक दशक से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रही है।

हाल ही में, लोकसभा और राजसभा, दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक) या नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। यह विधेयक लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और अन्य विधानसभाओं में एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है।

ग़ौरतलब है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी बेहतर है । कई राज्यों में तो पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 फ़ीसदी से भी अधिक है। यह आँकड़ा इस बात का सबूत पेश करता है कि ज़मीनी स्तर पर महिलाओं ने हर तरह की बाधाओं, चाहें वो पितृसत्तात्मक हों या सामाजिक सभी बाधाओं को तोड़ा है। आज यह ज़रूरी है कि महिलाओं को नीति निर्माण में भी हिस्सेदार बनाया जाये।

डॉ. लाल रत्नाकर
सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतक

जाने माने सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक डॉ लाल रत्नाकर का मानना है कि महिलाओं का अपना हित समूह नहीं जितना इंडिया में विभिन्न जातियों का हित समूह है। किसी सवर्ण जाति की महिला और पिछड़े दलित समूह की महिला के हितों का कोई मेल जोल नहीं है। किसी यूनीवर्सिटी में जब N.F.S. मामले सामने आते हैं, तो जाति के आधार पर आते हैं। लिंग के आधार पर विश्वविद्यालय की भर्ती में या किसी भी इंटरव्यू में कम नंबर मिलने का भेदभावी खेल जाति के आधार पर होता है।

उनका मानना है कि 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित हो जाने से दलितों पिछड़ों के लड़ाके नेताओं को आगे बढ़ने का अवसर कम हो जाएगा। उनका मानना है कि देश में पहले 4-5 आम चुनाव में सांसद/विधायक केवल ज्यादातर सवर्ण जातियों- ब्राह्मण ठाकुर ही चुनाव लड़ते और जीतते थे। जैसे जैसे जागरूकता आई संसद और विधानसभाओं में कुर्मी, अहीर, कुशवाहा, केवट जैसे लोग संसद में जाने लगे|

यह भी मानना है महिला आरक्षण के लिए देश में कोई धरना प्रदर्शन माँग पत्र नहीं मिला। ये उसी तरह है जैसे सवर्णों को 10% आरक्षण बिना माँगे ही 4-5 दिनों में दे दिया, उसी तरह 6-7 दिनों में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण ज्यादा देने की जरुरत है, संसद और विधानसभाओं में लोगों को लड़कर आने देना चाहिए। अधिकांश पिछड़े नेताओं ने इसीलिए इस बिल का विरोध किया और शरद यादव जैसे महान नेता की बातों को दुष्प्रचारित किया गया। जाति जनगणना की देश भर में मांग हो रही है, धरना प्रदर्शन से लेकर चुनावी मुद्दा भी बन रहा है लेकिन जाति जनगणना तो छोडिये इस बार सामान्य जनगणना का ही पता नहीं है कि कब होगी? जबकि महिला आरक्षण बिधेयक में भी प्रावधान है कि नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद लागू होगी। फिर तो कह सकते हैं कि पता नहीं कब लागू होगी।

महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास

यह विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था, किंतु लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया था। साल 1998 में इसे दोबारा पेश किया गया लेकिन एक बार फिर यह पास नहीं हो सका। एनडीए सरकार ने साल 1999 से 2003 तक 3 मौक़ों पर यह विधेयक पास कराने का प्रयास किया लेकिन इसे मंजूरी दिलाने में असफ़ल रही। वर्ष 2004 में यह यूपीए सरकार ने इस विधेयक को पास कराना अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाया। 2008 में यूपीए ने महिला आरक्षण विधेयक को राजयसभा में पेश किया। अगले साल 2010 में इसे राज्यसभा से पारित कर लोकसभा में अनुसमर्थन के लिये भेजा गया था, लेकिन 15 वीं लोकसभा के विघटन के बाद यह दोबारा रद्द हो गया। इसके बाद इस पर विराम सा लग गया था, अब पुनः यह विधेयक चर्चा में है।

दुनिया का हाल

इस समय विश्वभर की सांसदों में सिर्फ़ 17.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्यारह देशों की संसदों में तो एक भी महिला नहीं है और 60 देशों में दस प्रतिशत से कम प्रतिनिधित्व है। अमेरिका और यूरोप में बीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, जबकि अफ्रीका एवं एशियाई देशों में 16 से 10 प्रतिशत है। अरब देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ 9.6 प्रतिशत है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 183 देशों में

मुजफ्फरपुर में महिला आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन

रवांडा पहले नंबर पर है। वहां संसद में 48.8 फ़ीसदी महिलाएं हैं।

कैसे तय होंगी आरक्षित सीटें

महिला आरक्षण बिल के मुताबिक़, महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। पहले जनगणना और फिर परिसीमन, इसमें काफ़ी समय लगने का अनुमान है। साथ ही एक और तथ्य सामने आता है कि, यह बिल 2024 के चुनाव के बाद ही लागू हो पाएगा। बिल में आगे यह भी कहा गया है कि आरक्षण शुरू होने के 15 साल बाद प्रावधान प्रभावी होना बंद हो जाएंगे।

इस विधेयक में यह ही कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की अदला-बदली होगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में तर्क

भारत में स्वाभाविक रूप से राजनीति में पुरुषों का बोलबाला है, इसलिए संसद में महिलाओं का उच्च प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के रूप में सकारात्मक कार्यों की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि संसद में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के मुद्दों पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अधिक विस्तार से गहन चर्चा की जा सकेगी।

आज भी महिलाएँ पुरुषों से कई मामलों में पीछे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 के अनुसार, 146 देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 127 वां है। रिपोर्ट के मुताबिक़ इस गैप को मिटाने में हमें 162 साल और लग जाएँगे। पिछले वर्षों की तुलना में राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं कि भागीदारी में मामूली बदलाव ही आया है। जिसमें कुल सांसदों की संख्या में लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व था।

पंचायत में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से देश में ज़मीनी स्तर पर काफ़ी बदलाव आये हैं। महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराध, लैंगिक असमानता, पोषण की समस्या आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

महिला आरक्षण विधेयक में विपक्ष के तर्क

महिला आरक्षण बिल नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के बावजूद विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इस बिल के विरोध में विपक्ष ने अपने-अपने तर्क दिए हैं।

"बाबा साहब भीम राव आंबेडकर जी किसी समुदाय की प्रगति उससे मापते थे जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की हो। किसी भी समुदाय की प्रगति मापने का यही सबसे उचित तरीका है। पर जिस तरह से महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न देकर उन्हें और भी पीछे धकेलने का काम किया गया उससे बस ओबीसी महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज को और भी पीछे धकेलने का काम किया गया गया है।

कंचना यादव
राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी

भारतीय राजनीति में ओबीसी, एससी और एसटी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अभी भी बहुत गहरी खाई है। ओबीसी महिलाओं को कोटा न देकर इस राजनीतिक गैरबराबरी की खाई को और भी गहरा करने का काम किया गया है। कोटा के अंदर ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दिए बिना और एससी, एसटी महिलाओं को पूर्व से ही निर्धारित कोटे में से ही सीट देना मतलब लोकसभा और विधानसभाओं में सिर्फ सवर्ण, इलीट महिलाओं को भरना है।

महिलाएं सभी शोषित हैं, पर उसमें भी सबसे शोषित कौन? इस देश की दलित, पिछड़ी महिलाओं पर चौतरफा मार पड़ती है। इसलिए कोटा के अंदर कोटा की जरुरत है। पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाए इसलिए महिला रिजर्वेशन बिल 27 साल तक पास नहीं हुआ।

यह एक जाति का नहीं 3743 जातियों की महिलाओं का सवाल है। यह इस देश की 63% ओबीसी आबादी की महिलाओं का सवाल है। यह पिछडी महिलाओं के अधिकारों के बारे में है। इसलिए महिला आरक्षण बिल को बिना कोटे के अंदर कोटे का लाना बेईमानी है। यह बस संसद और विधानसभाओं का सवर्णीकरण करने के लिए है। फूलन देवी और भगवतिया देवी जैसी पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं संसद कभी नहीं पहुँच पाएंगी।

सवर्ण जातियों के 90% से ज्यादा लोग A ग्रेड की नौकरियों में हैं, उनकी तुलना आप पत्थर तोड़ने वाली महिला, घास छीलने वाली महिला, पान की दूकान लगाने वाली घर की महिला, सब्जी बेचने वाली घर की महिला, मछली बेचने वाली घर की महिला, दूध बेचने वाली घर की महिला, लोहार के घर की महिला, कुम्हार के घर की महिला से नहीं कर सकतें।"

महिला आरक्षण बिल के विरोध में

सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील दो ऐसे सांसद थे, जिन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोटिंग की थी। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से AIMIM सांसद हैं। विरोध में वोट करने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। उन्होंने इस बिल में ओबीसी रिजर्वेशन को शामिल करने की मांग की। ओवैसी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पर चर्चा में शामिल होते हुए आरोप लगाया कि सरकार संसद में सिर्फ 'सवर्ण महिलाओं' का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है। उसे अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक समावेशी नहीं है और यह कुछ खास लोगों के लिए है। उन्होंने सवाल किया कि ओबीसी और मुस्लिम समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन आज सदन में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व महज 20 प्रतिशत है। ओवैसी ने इसे 'चुनावी स्टंट' भी करार दिया।

स्मृति शेष शरद यादव

सदन में दर्ज शरद यादव के बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा, "श्रीमान स्पीकर सर, महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के बारे में मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं। मैं उनके 50 प्रतिशत आरक्षण के भी पक्ष में हूं और 55 प्रतिशत भी दे दीजिए। ये देश के संविधान में पूना एक्ट के तहत लिखा हुआ है, जो लोग पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक तौर पर अति पिछड़े हैं वो समाज पुरुष प्रधान है, वहां पर जातिवाद है। भारत का हिंदू समुदाय पुरुष प्रधान है।इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद है। ये सदन इसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता|

साथ ही यह महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण महिलाओं की पसंद को उन महिला उम्मीदवारों तक सीमित करता है जिन्हें लोग पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रोटेशन के चलते सांसद के अपने जिले के लिये काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है क्योंकि वह फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार खो सकता है।

विपक्ष को चुनाव में यह आरक्षण लागू करने में अस्पष्टाएं हैं। आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नहीं लागू किया जा सकता है। इसे तभी लागू किया जा सकता है जब भारत में परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जायेंगी। साथ ही अधिनियम राज्यसभा और विधान सभा परिषदों में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है।

1996 के महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिये संविधान में संशोधन होने के बाद ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से यह सिफ़ारिश भी की गई कि आरक्षण को राज्यसभा और विधान परिषदों तक बढ़ाया जाए। इनमें से किसी भी सिफ़ारिश को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। ▪

मुलायम सिंह ने उठाया था संशोधन का मुद्दा

स्मृति शेष मुलायम सिंह यादव

33 फीसदी आरक्षण का मुद्दा आखिरी बार 2010 में संसद में उठा था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। उस वक्त बिल का समाजवादी पार्टी जैसी पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने विरोध किया था। पार्टियों ने कहा था कि महिला आरक्षण का लाभ दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाओं को भी मिले, इसके लिए उनका एक हिस्सा 15-16 फीसदी फिक्स होना चाहिए।

संसद में बोलते हुए मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, 'आप तो चेयरपर्सन हैं, वो पहले से बनी हैं, मुझसे भी पहले से रही हैं। समाज को जोड़कर चलेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सद्भावना बढ़ेगी। लेकिन जो आगे निकल गए उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जो पीछे रह गए, उन्हें पीछे धकेलने की बात हो रही है। दलित, पिछड़ा, मुसलमानों की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। सब मिलकर समाज में चलें। विषमता को खत्म किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। देश की आजादी में गरीब-मजदूर सभी एक हो गए थे। ये आरक्षण किस महिलाओं का हो रहा है? हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कानून आ रहा है, उसमें संशोधन करिए।

परिभाषा

▪ **तेज बहादुर यादव, भोपाल**

विधानसभा चुनावः अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर सियासत को यूपी, बिहार के नजरिए से मध्य प्रदेश की राजनीति को आंकना बेमानी होगा

- **मध्य प्रदेश में भाजपा का कोर वोटर ही पिछड़ा वर्ग है। हालांकि बुंदेलखंड, विंध्यांचल में यह गणित भाजपा के पक्ष में नहीं जाता है।**
- **पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवारः भाजपा- 66, कांग्रेस-62**
- **प्रदेश की 70 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।**
- **कई सीटों पर कुर्मी-पटेल तो कहीं यादव या कौरव, लोधी व किरार समाज प्रभावी भूमिका में है।**

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हो गया। अब मतगणना के साथ नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले अब ये अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों का रुझान किस तरफ रहा। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने और उसके नतीजे के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात दोहराई। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हर चुनावी भाषण में इसका जिक्र किया। अब सवाल ये है कि राज्य में पिछड़ी जातियां भाजपा की ताकत रही है, तो क्या अब कांग्रेस की सियासत से भाजपा से पिछड़ी जातियों का मोह टूटा है? इसका जवाब 3 दिसंबर के नतीजों के बाद ही मिलेगा, लेकिन चुनाव के दौरान की राजनीति को देखें तो यह साफ नजर आता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को यह पता है कि चुनाव का ऊंट उसी करवट बैठेगा, जिस ओर पिछड़ी जातियों का वोट पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना को भरसक मुद्दा बनाने की कोशिश की। वहीं, भाजपा ने कांग्रेस की इस कोशिश की हवा इस तर्क के साथ निकालती दिखी कि कांग्रेस पिछड़ी जाति के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं देती। इसे न केवल भाजपा नेताओं ने बार-बार दोहराया, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद को बार-बार यह बताने का प्रयास किया कि वे खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा के चुनाव प्रचार में खुद के पिछड़ा वर्ग से होने का राग आलापा। ये अलग बात है कि उनकी सियासत पिछड़े वर्गों के बड़े हित के साथ मेल नहीं खाती, जो संघ के चाल, चरित्र और चेहरे से आगे बढ़ती नजर नहीं आती है और संघ की पिछड़ी जातियों के साथ ही आदिवासी जातियों के बीच गहरी पैठ है, जिनका वोट स्वभाविक रूप से भाजपा के पक्ष में जाता है। जबकि उत्तर भारत में जातीय राजनीति का गणित इससे बिलकुल ही अलग है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में पिछड़ी जातियों का अपना नेतृत्व करने वाला राजनीतिक संगठन है, जबकि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ऐसा बिलकुल नहीं है।

मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर राजनीति का वैसा खेल नहीं खेला जा सकता है, जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु में खेला जाता रहा है। इसकी वजह एक तो सामाजिक है और दूसरा ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश में सवर्ण जातियों के खिलाफ राजनीति का वैसा खेल खेलने का खुला मैदान नहीं है, जैसा कि उत्तर भारत में है या होता है।

मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण विवाद के चलते अनुसूचित जातियों और सवर्ण जातियों का बड़ा हिस्सा भाजपा सरकार से नाराज था। इसका नतीजा यह रहा कि भाजपा को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था और पिछड़ी जातियों के वोट भाजपा से छिटकने की वजह से सत्ता कांग्रेस के पंजे में आ गई थी। ये अलग बात है कि 15 महीने में ही सिंधिया राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल खेला और भाजपा ने कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के शब्दों में कह सकते हैं कि "भाजपा ने सरकार चुरा ली।"

पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भाजपा खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले एक साल से जगह-जगह जातियों के नाम पर सभाएं और सम्मेलन करते रहे हैं। कांग्रेस भी जातियों के आधार पर आयोगों, मंडलों के गठन की घोषणाएं करती रही है।

प्रदेश की 50.09% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की:

मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की

65 प्रतिशत वोटर जाति वाला नेता देखता है:

प्रदेश में 65% मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। लोकनीति के सर्वे में ऐसा सामने आ चुका है। अब प्रदेश में जाति और वर्गों की आबादी की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% हिस्सा अनुसूचित जनजाति और 15.6% अनुसूचित जाति का है। 230 सीटों वाली विधानसभा में कुल 82 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। इसमें 47 एसटी के लिए और 35 एससी के लिए हैं।

वोट देने के लिए लाइन में लगे मतदाता

एक स्टडी के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 50.09% हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग का है। विंध्य क्षेत्र में सवर्ण वर्चस्व वाली सीटें हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक 29% अगड़ी जातियों के वोटर हैं। वहीं, चंबल-ग्वालियर और बुंदेलखंड सहित मालवा, भोपाल में पिछड़ी जातियों के बड़े गढ़ हैं। एक स्टडी के अनुसार, 1957 में मध्य प्रदेश के 20% विधायक केवल ब्राह्मण वर्ग से थे। 1972 में यह अनुपात 25% तक पहुंच गया था। 1980 के बाद से अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह के जमाने में राजपूत हावी होते रहे। आदिवासी और अनुसूचित जाति को कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता था, लेकिन वहां से कोई दमदार नेतृत्व नहीं उभरा।

अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 14% आरक्षण मिल रहा:

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ वर्ग का आरक्षण 1984 में लागू हुआ। यह 14% है। इसे बढ़ाकर केंद्र की तरह 27% करने की मांग पुरानी है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में एक्ट बनाकर आरक्षण का दायरा 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी भी फैसला नहीं आ पाया है।

जातीय जनगणना आंकड़े जारी नहीं हो पाए:

2011 में पिछड़ी जातियों की भी गणना अलग से कराई गई थी। उसमें सामाजिक-आर्थिक गणना के नाम पर सभी जातियों का ब्योरा दर्ज हुआ था। सरकार ने उसके आंकड़े कभी जारी नहीं किए। 2015 में कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना कराई। इसको चुनौती मिली तो नाम बदलकर सामाजिक-आर्थिक सर्वे कर दिया गया। सरकार ने इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराने के साथ ही उसके आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला विधेयक भी सदन में पेश कर दिया। अब उस राह पर कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बना रही है। 2020 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों की हालत जानने के लिए एक आयोग बनाया। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने 2021 से काम शुरू किया। 2022 में इसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन सरकार ने उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है।

उमा भारती के नाम से पिछड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा: भाजपा ने 2003 के चुनाव में उमा भारती को आगे किया तो उसके पीछे अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोधी समाज के वोटों के ध्रुवीकरण का भी लक्ष्य था। यह दांव कारगर रहा। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। बाद में यादव समाज के बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान करीब 15 साल से मुख्यमंत्री रहे। वह किरार समाज से आते हैं, जो राज्य में पिछड़ा वर्ग में शामिल है।

निवर्तमान विधानसभा में 26 प्रतिशत विधायक अन्य पिछड़ा वर्ग से:

मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की भागीदारी राजनीति में 26% और प्रशासनिक क्षेत्र में 25.83% है। विधानसभा में 230 में से 60 सदस्य पिछड़े वर्ग से हैं। 2020 में कराए गए उपचुनाव के बाद 32 सीटों पर भाजपा और 28 सीटों पर कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के विधायक हैं।

राज्य में प्रथम से चतुर्थ वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 4 लाख, 15 हजार, 444 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 25.83 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में हैं। इस वर्ग के वर्तमान में 85 हजार, 362 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। 21 हजार 975 पद खाली हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा 74 हजार, 393 तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं और इस वर्ग के अभी 28 हजार 695 पद खाली हैं। ▪

मुस्लिम आरक्षण बनाम भागीदारी

तेलंगाना चुनाव के बहाने...

चार मिनार, हैदराबाद, तेलंगाना

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला आरक्षण विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार प्रचार के दौरान कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना की सत्ता में आती है तो मुस्लिम समुदाय के 5 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर देगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच बाँट देगी।

वहीँ केसीआर और कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की वकालत की। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब राज्य नवगठित हुआ था, टीआरएस (अब बीआरएस) ने वादा किया था कि वह नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 12% कर देगी।

अप्रैल 2017 में, तेलंगाना विधानसभा ने मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसके बाद विधेयक को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया। हालांकि, केंद्र ने यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि वह धर्म-आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं दे सकता।

तेलंगाना में कब शुरू हुआ मुस्लिम आरक्षण?

वर्तमान में, तेलंगाना में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी का 12.7% है।

तेलंगाना के अस्तित्व में आने के कई साल पहले 1960 में मुस्लिमों को आरक्षण के दायरे में लाने का पहला प्रस्ताव आया, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में ओबीसी के पिछड़ेपन को लेकर अध्ययन किया जा रहा था। अध्ययन में पाया गया कि कुछ वर्ग जैसे धोबी और बुनकर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर अनुसूचित जाति (एससी) की तुलना में अधिक पिछड़े थे। इसलिए सरकार ने उसी

सौरभ विश्वकर्मा
युवा नेता

"भाजपा राज्य में अपने जनाधार के अभाव में मुस्लिमों पर हमला करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण कराना चाह रही है। इसीलिए भाजपा का हर नेता राज्य में मुसलमानों को मिलने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण पर हमलावर है। तेलंगाना में जो आरक्षण मिल रहा है वे मुसलमानों में जाति के आधार पर मिल रहा है। हर मुसलमान को यह नहीं मिल रहा है। पिछड़े मुसलमानों की सूची में शामिल जातियों को ही मिल रहा है।अमित शाह का ये कहना कि आरक्षण धर्म के आधार पर मिल रहा है ये झूठ है, आखिर बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है?"

भागीदारी की मांग करते हुए मुस्लिम

बानगी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिवों की लिस्ट देख लीजिये जहाँ जहाँ एक भी मुस्लिम कर्मचारी नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, दलित पिछड़े तो इक्का दुक्का दिख भी जा रहें हैं-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों की सूची-

श्री एस. पी. गोयल	अपर मुख्य सचिव
श्री संजय प्रसाद	प्रमुख सचिव
श्री अमित सिंह	सचिव
श्री कुमार हर्ष	विशेष सचिव
श्री प्रथमेश कुमार	विशेष सचिव
श्री शशांक त्रिपाठी	विशेष सचिव
श्री ईशान प्रताप सिंह	विशेष सचिव
श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री	विशेष सचिव
श्री एन. के. एस. चौहान	विशेष कार्याधिकारी
श्री राज भूषण सिंह रावत	विशेष कार्याधिकारी
श्री संजीव सिंह	विशेष कार्याधिकारी
डा० सरवन सिंह बघेल	विशेष कार्याधिकारी
श्री प्रखर वर्मा	विशेष कार्याधिकारी
श्री भाष्कर पाण्डेय	संयुक्त सचिव
श्री अजय कुमार ओझा	संयुक्त सचिव
श्री अरविन्द मोहन	संयुक्त सचिव
श्री लाल साहब सिंह	उप सचिव
श्री भास्कर चन्द्र काण्डपाल	उप सचिव
श्री कमलेश कुमार	अनु सचिव
श्री विकास सखाराम बेहेरे	अनु सचिव
श्री आनंद कौशिक	अनु सचिव, नागरिक उड्डयन
श्री बृजेश कुमार सिंह	अनु सचिव, लेखा

दारा सिंह यादव
युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

"देश में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20% मुसलमान हैं। मकान, दुकान, समान से लेकर फिल्मीस्तान तक तो दिखते हैं, लेकिन सचिवालय, पुलिस, लेखपाल, टीचर आदि में इनकी भागीदारी न के बराबर है। इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण बाधा है तो और तरीका निकला जाना चाहिए ।वैसे भी आरक्षण भागीदारी बढ़ाने का सफल तरीका नहीं साबित हो पाया है। 27 साल से पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू है पर कहीं भी उनकी 27 भागीदारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसीलिए मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए "डायवर्सिटी मिशन" बना कर काम करना पड़ेगा, वरना देश के न्यायालय, सचिवालय, विध्यालय, विश्वविद्यालय, थाना- कचेहरी हर जगह बाभन,ठाकुर,लाला से भरा पड़ा रहेगा और तेली,कुम्हार,अहीर, गड़ेरिया,अंसारी, डफली आदि कहीं अगले 27 साल में भी मुस्किल से नजर आएंगे।"

समय से उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल करना शुरू कर दिया। हालांकि, आरक्षण के लिए मुस्लिमों को लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 1994 में मुख्यमंत्री कोटला विजया भास्कर रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें मुस्लिमों की दो श्रेणियों जैसे धोबी और बुनकर को ओबीसी सूची में शामिल किया गया। कांग्रेस की सरकार गिर गई और टीडीपी की सरकार बनी। टीडीपी लगभग नौ सालों तक पुट्टास्वामी आयोग की शर्तों का विस्तार करती रही। फिर 2004 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और मुसलमानों को ओबीसी मानकर पांचवीं श्रेणी बनाकर उन्हें 5 प्रतिशत कोटा देने का आदेश जारी किया गया। ▪

जातीय जनगणना रिपोर्ट
ग्राम पंचायत केवटली, जिला प्रतापगढ़, उ. प्र.

बसावन इंडिया अपने प्रवेशांक से ही देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बसावन इंडिया के जाति आधारित जनगणना की मुहीम रंग लायी, आज देश में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। बिहार में जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजानिक कर दिया है। जनगणना तो वैसे केंद्र का विषय है लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के साथ साथ राज्य भी जनगणना करवा सकते हैं। बिहार की जाति आधारित जनगणना का स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार में जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े के नतीजों के आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा उन वर्गों को लिए बढ़ा दिया है, जो देश के स्वतंत्रता के सात दशक बीत जाने के बाद भी हांसिये पर रहे।

इसी कड़ी में बसावन इंडिया अपने इस अंक के लिए केवटली, प्रतापगढ़ जिले के एक गांव की जनगणना का प्रकाशन कर रहा है। बसावन इंडिया ने अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार सहित के दस जिलों के नौ ग्रामसभा की जनगणना का प्रकाशन कर चुका है। इस बार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट हमे केवटली से राम प्रवेश ने भेजी है।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत केवटली में 11 जातियां के मतदाताओं की संख्या 1340 है। जिसमे एक मात्र सवर्ण जाति, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 60 है। ग्राम पंचायत केवटली में पिछड़ी जातियों संख्या 07 है। जिसमे अहीर, लोनिया, गड़ेरिया, तेली, लोहार,केवट और कहांर शामिल हैं। ग्राम सभा में ओबीसी मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या अहीरों की है, जिनकी कुल संख्या 456 है। इसके बाद लोनिया चौहानों की संख्या 205 है, अन्य पिछड़ी जातियों में लोहार(विश्वकर्मा)75, गड़ेरिया(पाल) 68, तेली(गुप्ता) 67, केवट 50 और कहांर 36 हैं। अनुसूचित जातियों में चमार और पासी शामिल हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 125 और 110 है। मुस्लिम समाज के 88 मतदाता है। ▪

राम प्रवेश
मो.न.- 8445856751

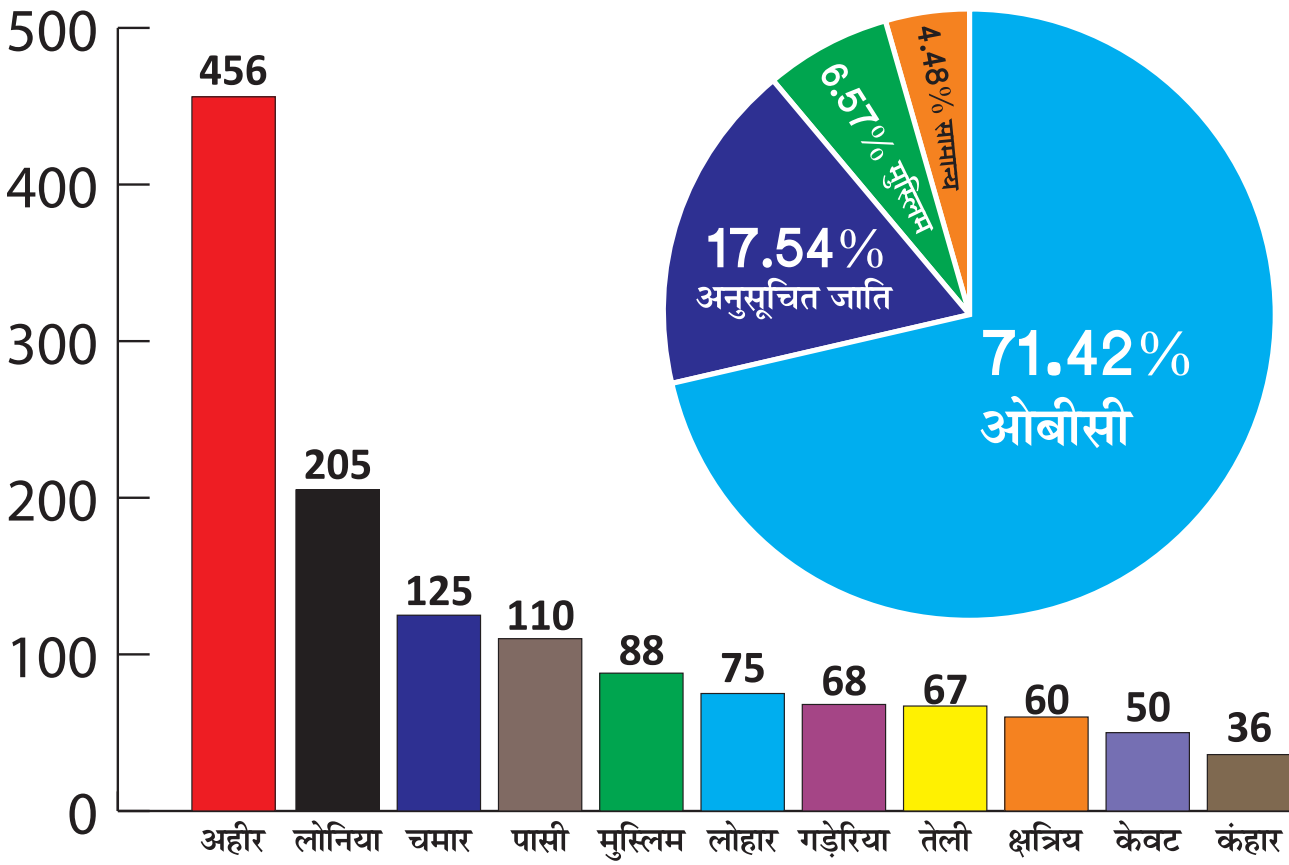

ग्राम पंचायत केवटली, जिला प्रतापगढ़, उ. प्र.

प्रदेश में मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के पदों पर
जाति विशेष का दबदबा

▪ बसावन इंडिया डेस्क

मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कार्यालयों में विविधता यानि डाईवर्सिटी का अभाव है। मंडल ऑडिट में इस बार इस बार हम आडिट करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में।

पिछले अंक में बसावन इंडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव पद की आडिट, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की थी, जिसमें 100% न केवल ब्राहमण बल्कि केवल मिश्रा ही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे। इस बार बसावन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री पद की मंडल आडिट करने का प्रयास किया है। इसके आलावा उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारीयों की वर्तमान तैनाती पर मंडल आडिट करने की कोशिश की गई है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद चार लोगों को मुख्य सचिव बनाया गया। इस समय दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव हैं, जो सेवा निवृत्त हो चुकें हैं लेकिन उन्हें दो वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। जबकि इनसे पहले राजेंद्र तिवारी मुख्य सचिव हुआ करते थे। उनसे पहले अनूप चंद्र पांडे और उनसे भी पहले राजीव कुमार और राहुल भटनागर मुख्य सचिव थे। भाजपा सरकार में राजीव कुमार को एक वर्ष और राहुल भटनागर तीन महीने तक मुख्य सचिव के पद पर रहे। भाजपा सरकार

Savarna – 04
OBC(Jat)– 01
SC – 0
ST – 0
Minority – 0

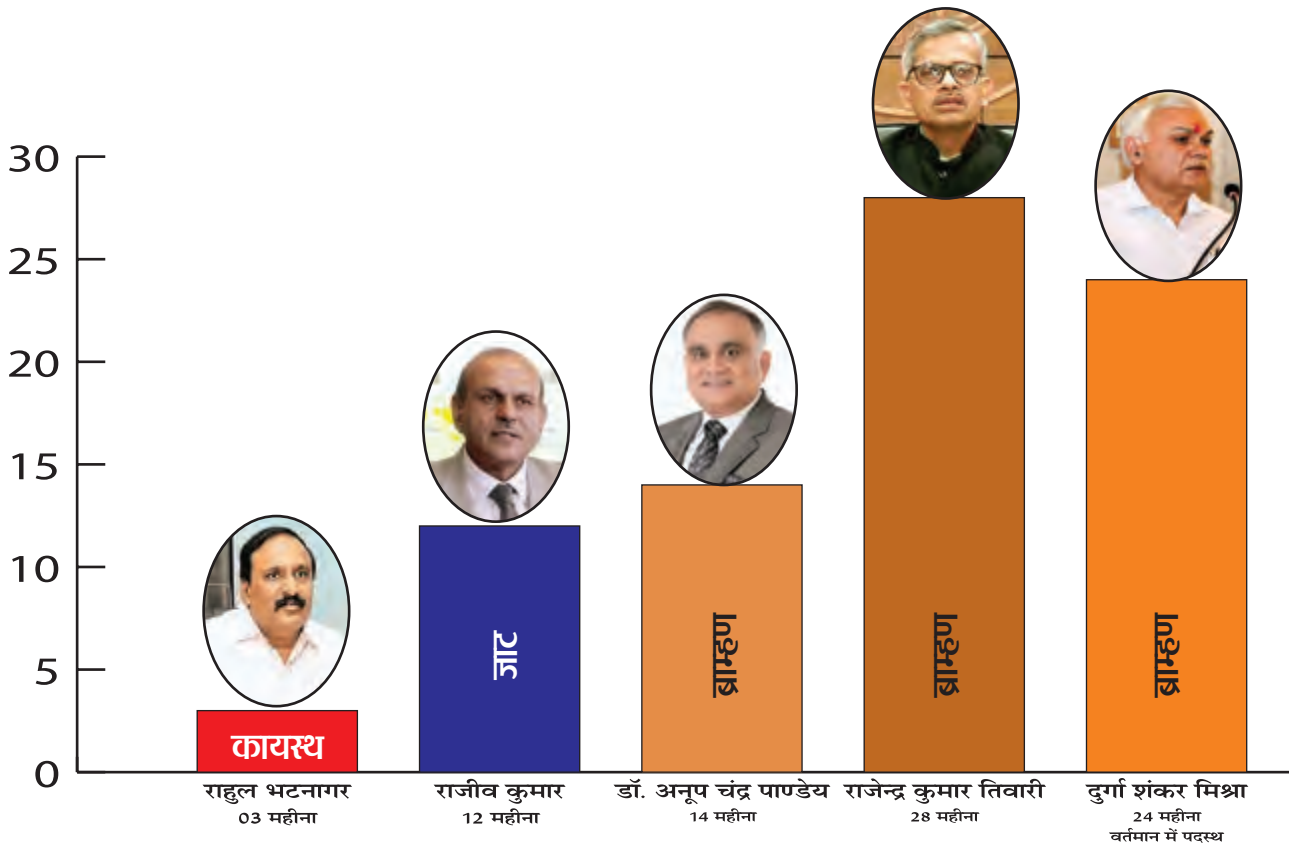

यू.पी. की भाजपा सरकार में मुख्य सचिव

के लगभग 7 साल के कार्यकाल में एक साल छोड़ दिया जाए तो शेष समय में मुख्य सचिव केवल सवर्ण जातियों से रहे।

जबकि पूर्ववर्ती सपा सरकार में मुख्य सचिवों के रूप में आलोक रंजन जो कायस्थ थे। जावेद उस्मानी,दीपक सिंघल, राहुल भटनागर मुख्य सचिव रहे। सपा सरकार में मुख्य सचिव पद पर योगी सरकार की तुलना में डाईवर्सिटी दिखाती है। सपा सरकार से पूर्व बसपा के कार्यकाल में मुख्य सचिव के रूप में अतुल गुप्ता,अनूप मिश्रा और शंभू नाथ सिंह रहे।

जैसा कि बसावन इंडिया ने अपने पिछले अंक में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पद की आडिट में पाया कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव न केवल 100% ब्राह्मण थे, बल्कि उनका मिश्रा कनेक्शन था ।

चीफ सेक्रेट्री तो मात्र एक पद है, आईए देखते हैं यूपी के वरिष्ठ पदों पर क्या हाल है

उत्तर प्रदेश कैडर 540 आईएएस अधिकारियों में 168 ब्राह्मण, 65 राजपूत, 25 वैश्य,17 कायस्थ व 10 भूमिहार व त्यागी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर काबिज हैं। 283 पदों पर यानि पचास फ़ीसदी से अधिक सवर्ण जातियों के अधिकारी काबिज है। 168 ब्राह्मण आईएएस अधिकारियों के पास 325 अहम विभागों व पदों की जिम्मेदारी है। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों में गैर सवर्ण अधिकारीयों की बात करें तो 44 कुर्मी, 33 यादव,17 जाट,4 गूजर,6 मौर्य, कुशवाहा,सैनी, 2 लोधी,4 साहू, 8 सोनार, 4 चौरसिया, 3 बढ़ई/लोहार, 7 मुस्लिम, 65 एससी हैं। शेष अन्य अधिकारियों 64 की जाति नहीं पता चल सकी।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में 75 विशेष सचिव का पद है। 75 विशेष सचिव में इस समय 25 यानि एक तिहाई यादव हैं, एससी लगभग एक तिहाई यानि 25 लोग विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं बाकी एक चौथाई के लगभग अन्य ओबीसी वर्ग की अन्य जातियां और मुस्लिम हैं । शेष में सवर्ण जातियां है। ▪

> “भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ.लौटनराम निषाद ने आरोप लगाया कि सचिवालय में आईएएस अफसरों की तैनाती जाति व्यवस्था के शिकार दंडित अधिकारीयों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार में जमकर सवर्णीय जातिवाद कायम है।”

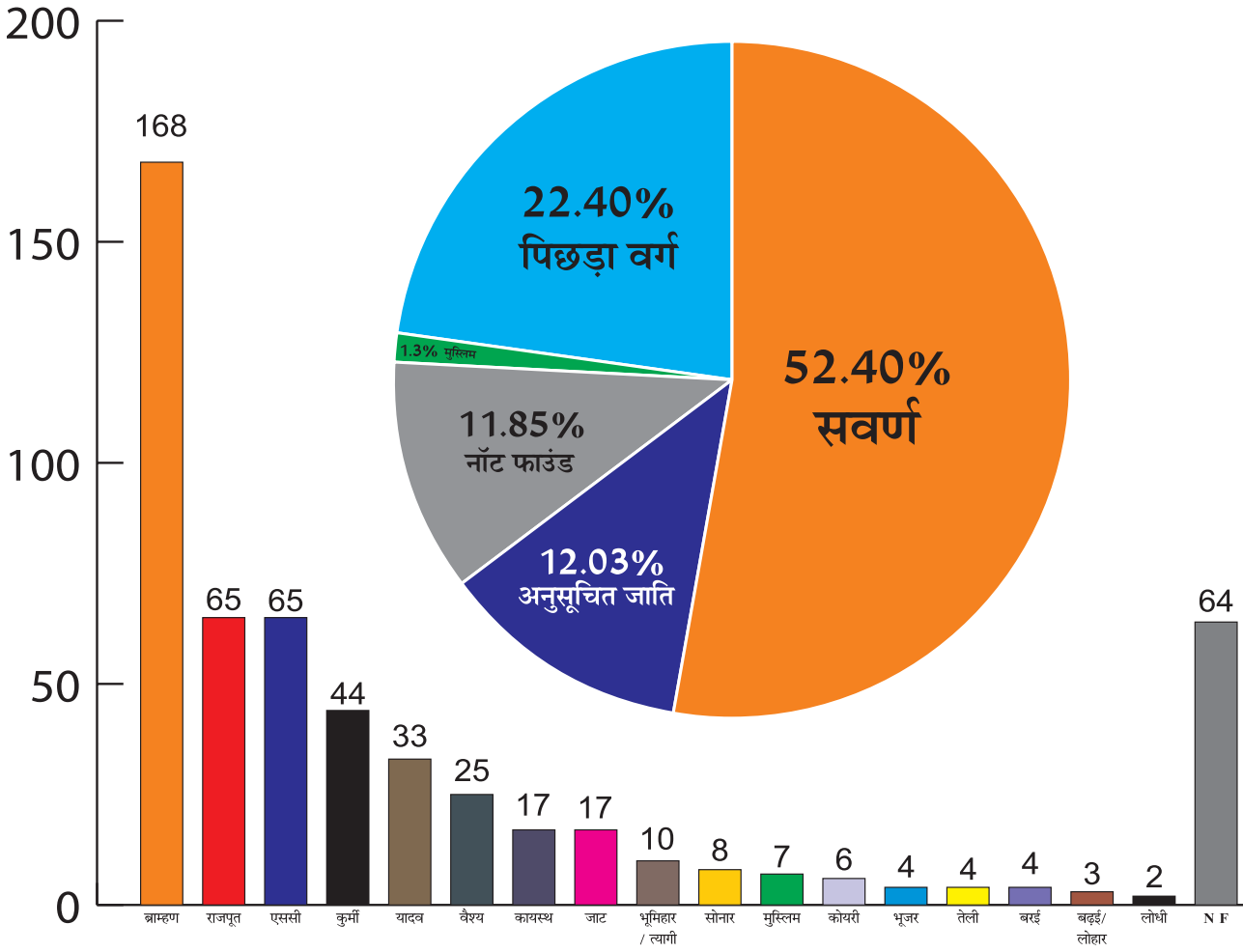

@NF- Not Found

यू.पी. कैडर में IAS अधिकारियों की भागीदारी

P- पिछड़ा D- दलित A- अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी?

लखनऊ में PDA साइकिल यात्रा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने "अस्सी हराओ,भाजपा हटाओ" का नया नारा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में 'भारतीय जनता पार्टी' को टक्कर देने के लिए कथित पिछड़े ,दलित ,अल्पसंख्यक ,अगड़े एवं आदिवासियों को पार्टी में जोड़ने की एक कवायद शुरू की है जिसका नाम उन्होंने पी.डी.ए दिया है। यहां 'पी' का तात्पर्य पिछड़ा 'डी' का तात्पर्य दलित एवं 'ए' का तात्पर्य अल्पसंख्यक,अगड़ा और आदिवासियों से है।

> "पीडीए नीति है जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं पिछडे हैं, दलित है, अगडे भी हैं। सभी वर्ग के लोग हैं। जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। उपेक्षित लोग हैं यह सभी इकट्ठा होकर एक रणनीति के तहत सीढ़ी है।"
>
>
>
> शिवपाल सिंह यादव
> वरिष्ठ सामाजवादी नेता

एन.डी.ए. के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से लड़ने के लिए इसी फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव '2024' में 'इंडिया एलायंस' के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देने वाले हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई एन.डी.ए बनाम पी.डी.ए की है।

लोकसभा चुनाव में 'इंडिया एलायंस' को लेकर उनका यह मानना है कि जिस राज्य में जो भी विपक्षी दल जितने अधिक मजबूती से अपनी भागीदारी निभा रहें हैं उनको उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए! विपक्षी एकता के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में सपा का एकमात्र नारा है "अस्सी हराओ,भाजपा हटाओ|" 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में 'कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी' के साथ गठबंधन से जुड़े सवाल के जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि 'समाजवादी पार्टी' हमेशा से ईमानदारी और मजबूती से गठबंधन के साथ रही है ।

जाने माने सामाजिक चिंतक एवं लेखक फ्रैंक हुजूर कहते है कि "कुछ महीने पहले, अखिलेश यादव ने पिछड़ी जाति, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लक्ष्य करते हुए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारा लॉन्च किया था। इसे उच्च जाति समुदायों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया।

दबाव के कारण, अखिलेश ने अपनी अपील को व्यापक बनाने के लिए पीडीए में 'अगड़ा' (सवर्ण) और 'आधी आबादी' (महिला) को जोड़ा। इससे पता चलता है कि सपा प्रमुख दबाव में आ रहे हैं और मूल पीडीए सामाजिक न्याय के फोकस को कमजोर कर रहे हैं।"

अब क्रिसमस की पूर्व संध्या, 24 दिसंबर को ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर इस बात पर भ्रम पैदा करता है कि क्या पीडीए वास्तव में सामाजिक न्याय या सभी समुदायों के लिए खड़ा है। विरोधाभासी नारों से पिछड़ों और ऊंची जातियों दोनों को साधने की कोशिश वैचारिक स्पष्टता की कमी को दर्शाती है।

फ्रैंक हुजूरहुजूर कहते है- "अगर ऊंची जातियां सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्राथमिकता महसूस करती हैं तो सपा को ओबीसी, दलितों के अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र को खोने का खतरा है। फ्लिप-फ्लॉप के बजाय सभी वर्गों को संतुलित करने वाली एक अच्छी तरह से परिभाषित सोशल इंजीनियरिंग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।"

बदलते रुख ने अपने पारंपरिक पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए मजबूत विकल्प प्रदान करने की सपा की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले, अखिलेश यादव की परशुराम मंदिर की बात ने ब्राह्मण तुष्टीकरण की ऐसी ही चर्चा पैदा कर दी थी। इसका उद्देश्य समुदाय से जुड़े परशुराम कार्ड खेलकर ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाना था। हालाँकि, इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि लगभग 90% ब्राह्मणों ने फिर भी भाजपा को वोट दिया।

वे आगे कहते है कि इसके अलावा, विशेषकर हिंदी पट्टी राज्य उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच पौराणिक शत्रुता को देखते हुए, परशुराम मंदिर पर एकमात्र फोकस ने ठाकुर/राजपूत मतदाताओं को दूर कर दिया है।

पिछड़े-उन्मुख सामाजिक न्याय के साथ-साथ ऊंची जाति के हिंदुत्व की रणनीति अपनाने के अखिलेश के मिश्रित संदेश ने एसपी के पारंपरिक ओबीसी/दलित मतदाता आधार को भ्रमित कर दिया, जिसे समाजवादी दिग्गज मुलायम सिंह यादव और इंद्रधनुष जाति समूहों के उनके साथी नेताओं ने बहुत मेहनत से बनाया था। सामाजिक न्याय के पक्षधर होने का दावा करते हुए धार्मिक-जाति तुष्टिकरण का कार्ड खेलने से विरोधाभासी संकेत मिले। वास्तव में, विकास, शासन या वैचारिक आधार पर एक एकीकृत, सुसंगत आख्यान अधिक प्रभावी हो सकता है।

कुल मिलाकर, हिंदुत्व-सतही रणनीति के साथ अखिलेश का प्रयोग उल्टा पड़ गया क्योंकि इसने विभिन्न जाति वर्गों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने के बजाय अलग-थलग कर दिया। पूर्व सीएम को भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए था। ▪

रंजना यादव
Email : yadavranjna48@gmail.com

निशाने पर प्रोफेसर

प्रोफेसर विक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम में

कौन है प्रो विक्रम

क्रन्तिकारी विचारक,सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर विक्रम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी है। असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने स्नातक गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरा करने के उपरांत स्नाकोत्तर, एमफिल और डाक्टर की उपाधि जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के बाद बतौर गेस्ट लेक्चर जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अगस्त 2013 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। उन्होंने 10 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओ और लेख अंतरष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं।

▪ विनीत कुमार

पिछले दिनों इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मध्यकालीन इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ विक्रम के एक बयान से मनुवादियों में खलबली मच गई। डॉ विक्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर भगवान राम और श्री कृष्ण को मानवतावादी दृष्टिकोण से भगवान राम को शम्बुक वध के लिए और श्री कृष्ण को महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेशमेंट के लिए जेल भेजे जाने की वकालत की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि यदि आज प्रभु श्री राम होते तो मैं ऋषि शम्बुक वध के लिए उनको मैं आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेजता और यदि आज कृष्ण होते तो महिलाओं के साथ वध के लिए उनको भी मै जेल भेजता।

मनुवादियों ने कराई FIR, विश्वविध्यालय ने माँगा स्पष्टीकरण

डॉ विक्रम के अपने प्रगतिशील विचारों के मीडिया में वायरल होते ही मनुवादियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। प्रयागराज के कर्नलगंज

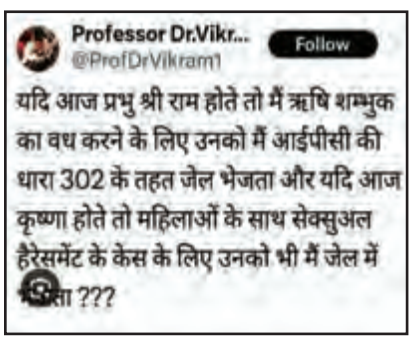

थाने में उनके खिलाफ आपसी वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने को ले कर IT एक्ट की धारा 66 के अनर्गत रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिसके बाद विश्विद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। कुलसचिव प्रो. एनके शुक्ला ने सोशल मीडिया की इस पोस्ट करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा ।

प्रो विक्रम ने दिया जवाब

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम ने इविवि प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस ट्वीट को लेकर विवाद हुआ है, वह उन्होंने सांविधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया था। डॉ. विक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा है कि बौद्धिक अन्वेषण और आलोचनात्मक विश्लेषण अकादमिक गतिविधियों का आधार बनते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण पर उनके ट्वीट का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।

अपने प्रगतिशील और मानवतावादी विचारों को लेकर डॉ विक्रम चर्चा में बने रहते हैं। वर्ष 2019 में एक टी वी चैनल को दिए गए इंटरविव्यू में उन्होंने इलाहाबाद विश्विद्यालय के सवर्णवादी चरित्र पर सवाल उठाया था। जिसको लेकर विश्विद्यालय प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा था। उसी वर्ष डॉ विक्रम ने शिवलिंग पर मूत्र विसर्जिन किये जाने के बयान लेकर भी मनुवादियों ने खूब शोर शराबा मचाया था ।

पिछले वर्ष 2022 में छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में भी वह छात्रों के साथ खड़े नजर आए थे। उन्होंने छात्रों के आमरण अनशन और धरने में जाकर उनका समर्थन किया था। ▪

कानूनी विशेषज्ञों का क्या मानना है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र यादव का कहना है कि डॉ. विक्रम ने कुछ भी अनुचित और अमर्यादित नहीं कहा, उन्होने जो भी कहा वह संवैधानिक दायरे में कहा। आज कानून का राज है। हमारा देश संविधान से चलता है। कानून के समक्ष क्या राजा क्या रंक, कानून सभी के लिए बराबर है। उन्होंने जो कहा वह आज की परिस्थिति के अनुसार कहा है। रही धार्मिक भावनाओं के आहत होने की तो वह बहुत छोटी छोटी बातों से भी आहत हो जाती है।

प्रतीकों के बहाने...

सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा

पिछले दिनों बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर और मंडल मसीहा बीपी सिंह की प्रतिमाएं लगाई गई। डॉ अंबेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में और बीपी सिंह की प्रतिमा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में लगाई गई। इस अवसर पर बसावन इंडिया ने दोनों महापुरुषों को सजोने का प्रयास किया है।

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा

संविधान दिवस 26 नवम्बर के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता विधिवेत्ता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देश में अधिकतर जगह यानी हर छोटे बड़े शहर कस्बे गांव में डॉ अंबेडकर की हाथ उठाए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती प्रतिमा लगी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को किया गया|

तीन फुट ऊंचे आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की सात फुट ऊंची प्रतिमा वकील की वेशभूषा में है। उन्होंने वकील की तरह गाउन और बैंड पहना हुआ है और एक हाथ में संविधान की प्रति है।

यह संविधान दिवस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में भी अलग ही रहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूर्ण के आदेश से सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉ अंबेडकर की प्रतिमा आज़ादी के 76 वर्ष बाद लगाई गई। देश के जाने माने सामाजिक चिन्तक दिलीप मंडल कहते हैं कि

‘भारत के पहले क़ानून मंत्री और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब की प्रतिमा को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने में, उनके महा परिनिर्वाण के बाद, 67 साल लग गए। उनकी टिप्पड़ी है कि देर-सबेर जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता भी आएगी। तब तक इन प्रतीकों से काम चलाइए।’

डॉ आर. पी गौतम
युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

> **“ अब भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा न्यायालय में लगाने से काम नहीं चलेगा, भीम हमारे दिलों में रहते हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए देश के हर आलय में चाहे वह न्यायालय हो विद्यालय हो अथवा देवालय हो। देश के हर प्रतिष्ठान की नियुक्ति में सामाजिक विविधता चाहिए। ”**

बाबा साहब को 6 दिसंबर को देश ही नहीं विदेशों में भी याद किया। आज जाति जनगणना का शोर चारो ओर है। 2021 में होने वाली सामान्य जनगणना को 3 साल की देरी हो चुकी है, कब होगी ? होगी भी या नही? यह सवाल लोगों के मन में उठना लाजमी है। बाबा साहब जाति जनगणना के बारे में क्या कुछ लिख छोड़े हैं? प्रस्तुत है, उसके कुछ अंश जो बाबा साहेब संपूर्ण वांग्मय खंड 10 पृष्ठ संख्या 133, (शीर्षक - करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास) से लिया गया है।

सवर्ण हिंदू सदा ही इस बात का तीव्र विरोध करते रहे हैं कि जनगणना रिपोर्ट के लिए जाति के अनुसार गणना की जाए। उनका आग्रह रहा है कि अनुसूचियों के लिए जाति संबंधी सवाल को न उठाया जाए और जाति तथा जनजाति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण न किया जाए। 1901 की जनगणना के आशय का प्रस्ताव किया गया था। उसका मुख्य आधार था कि विभिन्न जातियों तथा जनजातियों का विभाजन लंबे अंतरालों के बाद बदलता है और यह जरूरी नहीं है कि हर दस साल के बाद होने वाली जनगणना में उनके आंकड़े प्राप्त किए जाएं।

जनगणना आयुक्त पर आपत्ति के इन आधारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयुक्त के विचार में जाति के अनुसार गणना महत्वपूर्ण और आवश्यक थी। जनगणना आयुक्त की दलील थी :

सामाजिक संस्था के रूप में जाति के गुण-दोषों के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए, परंतु यह स्वीकार करना असंभव है कि भारत में जनसंख्या संबंधी समस्या पर कोई भी विचार-विमर्श जिसमें जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा न हो, लाभप्रद हो सकता है। भारतीय समाज का ताना-बाना अभी जाति-व्यवस्था पर आधारित है और भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन का निर्धारण अभी भी जाति के आधार पर होता है। प्रत्येक हिंदू (यहां इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जा रहा है) जाति में जन्म लेता है, उसकी वह जाति ही उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन का निर्धारण करती है।

यह स्थिति मां की गोद से लेकर मृत्यु की गोद तक रहती है। पश्चिमी देशों में समाज के विभिन्न स्तरों का निर्धारण, चाहे वह आर्थिक हो, शैक्षिक हो या व्यावसायिक हो, जिन प्रधान

तत्वों के द्वारा होता है, वे अदलते-बदलते रहते हैं, वे उदार होते हैं और उनमें जन्म और वंश की कसौटी को बदलने की प्रवृत्ति होती है। भारत में आध्यात्मिक, सामाजिक, सामुदायिक तथा पैतृक व्यवसाय सबसे बड़े तत्व हैं, जो अन्य तत्वों की अपेक्षा प्रधान तत्व होते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों में जहां जनगणना के समय आर्थिक अथवा व्यावसायिक वर्ग के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, वहां भारत में जनगणना के समय धर्म और जाति का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रव्यापी और सामाजिक संस्था के रूप में जाति के बारे कुछ भी क्यों न कहा जाए, इसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा और जब तक समाज में किसी व्यक्ति के अधिकार और उसके पद की पहचान जाति के आधार पर की जाती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हर दस साल के बाद होने वाली जनगणना से इस अवांछनीय संस्था के स्थाई होते जाने में सहायता मिलती है।

सन् 1911 की जनगणना के अवसर पर जनगणना में जाति के अनुसार गणना किए जाने पर और अधिक जोरदार तरीके से आपत्तियां उठाई गईं। उस समय दस कसौटियों वाली एक विशेष प्रश्नावली जारी की गई। उद्देश्य यह था कि इन कसौटियों को पूरा करने वाली जातियों का एक समूह बना दिया जाए। इसमें संदेह नहीं कि ये ऐसी कसौटियां थीं, जो दलित वर्गों को सवर्ण हिंदुओं से अलग करती थीं। सवर्ण हिंदुओं को आशंका थी कि यह परिपत्र भारत मंत्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) के नाम मुस्लिम ज्ञापन का नतीजा था और इसका उद्देश्य दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग कर देना था, ताकि हिंदू समाज की संख्या और उसकी महत्ता को कम कर दिया जाए।

यह प्रतिरोध निष्फल रहा और उन दस कसौटियों को पूरा करने वाली जातियों की गणना जनसंख्या रिपोर्ट में अलग से करने के उद्देश्य को पूरा किया गया। लेकिन प्रतिरोध पूर्णतः शांत नहीं हुआ। 1921 की जनगणना के समय वह पुनः उभरा। इस अवसर पर औपचारिक रीति से जातीय विवरणी पर आपत्ति उठाने का प्रयास किया गया। 1920 में सम्राट की विधायिका (इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें जाति संबंधी पूछताछ की आलोचना की गई। आलोचना के आधार थे : (क) जातिभेद की प्रथा को सरकारी प्रयास द्वारा मान्यता देना और बनाए रखना वांछनीय नहीं है, और (ख) विवरणियां गलत और व्यर्थ हैं, क्योंकि निम्न जातियों ने स्वयं को उच्चतर स्तर के समूहों के रूप में प्रदर्शित करने के अवसर का लाभ उठाया है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो अस्पृश्यों की संख्या की जानकारी पाना संभव न हो पाता। सौभाग्य से प्रस्तावक की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई और 1921 का जनगणना आयुक्त सामान्य रीति से अपनी जांच करने के लिए स्वतंत्र रहा। ▪

बी पी सिंह : याद किया दक्षिण वालों ने

▪ बसावन इंडिया डेस्क

चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज परिसर में पूर्व प्रधान मंत्री वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण का अनावरण किया गया। उनकी यह प्रतिमा उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश से हटकर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में लगाई गई। इन अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए के स्टॅलिन के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रहे। इस अवसर पर स्टॅलिन ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सिंह का मातृ राज्य था तो तमिलनाडु उनका 'पितृ राज्य' था। सामाजिक न्याय किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए एक विशेष मुद्दा है और यह भेदभाव, अस्पृश्यता, गुलामी और अन्याय का समाधान है उन्होंने कहा कि वह वीपी सिंह ही थे, जिन्होंने दबे-कुचले लोगों के लिए सामाजिक न्याय के दरवाजे खोले। वीपी सिंह को अपना प्रधानमंत्री पद खोने की भी चिंता नहीं थी यह द्रविड़ मॉडल सरकार महसूस करती है कि उनकी प्रतिमा स्थापित करना उसका कर्तव्य है।

स्मृतिशेष
रामविलास पासवान

"इस देश में नेता की कमी नहीं है नीति की भी कमी नहीं है सबसे बड़ी कमी है नेताओं की नीयत की, लेकिन इस देश में एक नेता है जिसका नाम बीपी सिंह है जिसके पास नेत्रित्व की क्षमता है नीति भी है और नीयत भी साफ़ है, और जब कोई आदमी नीयत से काम करेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही, देश ने किसी को माफ़ नहीं किया, मरने के बाद आदमी नाम लेता है। इस देश में कितने प्रधानमंत्री आएंगे-जायेंगे लेकिन हजारों साल के बाद कुछ एक प्रधानमंत्री होंगे जिका नाम लोग लेंगे। जीना किसका नाम है, जीना किसके लिए, जीना अपने लिए या जीना दूसरों के लिए यदि जीना दूसरों के लिए है तो उसी नाम बी.पी.सिंह है।" ▪

चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज परिसर में वीपी सिंह की प्रतिमा

जब बी पी सिंह ने कहा ...

वाकया है जब देश भर में आरक्षण के विरोध में तीव्र आन्दोलन चल रहा था|दिल्ली में तीव्र आन्दोलन चल रहा था। मै टीवी पर गया था। पार्लियामेंट में गया था, मैंने कहा बच्चों यदि तुमको मुझसे लड़ना है तो जिन्दा तो रहो, अपनी जान क्यों देते हो? अपील की थी लेकिन ये कुछ अख़बारों की ये जो उत्तेजना पूर्वक खबर दी गई, जाने उससे दी गई। हमने दिल्ली पुलिस को गोली तक इशू नहीं की थी एक जगह फायरिंग हुई थी, इंडिया टुडे ने इसपर पूरी रिपोर्ट लगाई। खैर उस मामले को आप यूँ देखें हमारे पास पिछड़े वर्ग के बच्चे आये थे, उन्होंने कहा कि कहिये तो हम जबाब दे दें, हमने कहा कि जब हम हैं तो क्यों जबाब दोगे ! उन्होंने जो कहा कि साहब हम लोग नौजवान नहीं हैं क्या? ये जो अख़बार लिखते हैं कि All youth Against B.P. Singh,तो हम क्या है? 80% यूथ हम ! आल यूथ कहाँ से आए?हम यूथ नहीं हैं क्या? सवाल यह है कि हमारी गिनती नहीं है, हमको आपने संविधान के तहत दिया तो आत्मदाह करते है,हम इस धरती के बच्चे नहीं हैं क्या? सवाल यह है कि 30% और 27% आरक्षण का सवाल नहीं है। समाज के अंदर एक परसेंट भी उनके दिल में हमारे लिए जगह है कि नहीं ? सवाल यह है कि ये अगर देश के 80% फ़ीसदी नौजवानों के दिल में ये ज्वालामुखी पल रही है, तो एक दिन अगर विस्फोट होगा तो उसको संभाल नहीं पाएंगे। और ये कि हजारों साल से जिनको आप सजा दिए हैं उनको तो न्याय देना होगा। जन्म के आधार पर यदि आप सजा दिए हैं तो जन्म के आधार पर उनको उसका न्याय भी मिलेगा। और अब तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो निष्पक्ष है उसने फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कोई जनता दल का टिकट चाहिए था और वो उच्च वर्ग के जजेज थे, अपर कास्ट के जजेज थे, उसमें और भी थे उसमे। और अब सब पार्टियों ने भी मान लिया। जो प्रधानमंत्री जाता है सामाजिक न्याय की बात करता है लाल किले में। अब किसको कहें, अटल जी भी मूड मुड़ा लिए हैं|यही मन्त्र ले लिए हैं अब सब ने स्वीकार कर लिया है तो अब कोई बहस नहीं है उसमे। और पत्रकारों ने जिस तरह से किया अगर 10% भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जजमेंट दिया। दस फ़ीसदी यदि अख़बार लिखते तो इन बच्चों की जान नहीं जाती।

– ('जीना इसी का नाम है' टीवी कार्यक्रम में बी.पी.सिंह जी द्वारा)

जेलों से जिसका नाता है...

अक्सर सुनने को मिलता है कि जेलों में ज्यादातर लोग पिछड़े, दलित और मुसलमान हैं, इस बात की पड़ताल के लिए बसावन इंडिया डेस्क ने कोशिश की है।

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

सत्ताधारी (सत्तासीन) दल भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है, कि वह सरकारी मशीनरी के द्वारा अपने विपक्षी नेताओं के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही करता है, जब वही नेता भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसा आरोप लगता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग भी उन्ही के खिलाफ कार्यवाही करता है जो विपक्ष में हैं या ऐसे उद्धमी जिनके सम्बन्ध विपक्षी दलों से हैं।

सिविल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या हो अथवा अल्ताफ का मामला हो जिसने ढाई फीट की ऊँचाई से नल की टैब से लटक कर आत्महत्या का मामला हो। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन पर पुलिस ने कई मुकदमे लगा कर उनको जेलों में डाले हुए है। वे जेलों में कानूनी दांव पेंच में उलझे हुए हैं। आज़म खां, रमाकांत यादव, गायत्री प्रसाद प्रजापति ,मुख्तार अंसारी और कुलदीप सिंह सेंगर। सबसे बड़ी बात ये है की ये ज्यादातर लोग पिछड़े अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता हैं। सवर्ण समाज से आने वाले अधिकांश नेता जेल के बाहर होते हैं या सुरक्षा खातिर जेल में हैं आइये देखते हैं कौन कौन हैं जेल में-

आज़म खान-

वरिष्ठ समाजवादी नेता आज़म खान को मुश्किलों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक लम्बा समय जेल में बिताने के बाद उनकी जमानत हुई थी लेकिन एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा साथ ही साथ उनकी विधायकी भी चली गई और अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। फिलहाल अभी जेल में है।

आज़म खान पर लगे आरोप – एक ज़माने में आज़म खान की तूती बोलती थी। सरकार बदली सब कुछ बदल गया, एक के बाद एक करके आज़म खान पर 104 केस दर्ज किये जा चुके हैं जिनमे 70 मुकदमे तो वर्ष 2019 में दर्ज किए गए हैं। उनके ऊपर **भैंस चोरी, किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, खैर के पेड़ों की चोरी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्ज़ा करने के आरोपों में भी मुकदमा दर्ज** किया जा चुका है। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र के आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं और वे भी जेल में हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि- आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, उसे जनता देख और समझ रही है।अखिलेश ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि इंसाफ के दरवाजे खुले हुए हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत अवाम की भी होती है।

रमाकांत यादव-

पूर्वांचल में सामाजिक न्याय के अगुआ और सवर्ण मीडिया में बाहुबली के नाम से चर्चित रमाकांत यादव किसी न किसी तरीके से जेल में रहते हैं। रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता। आजमगढ़ के फूलपुर पवई से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने अब तक चार बार लोक सभा में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। रमाकांत यादव भी एक लम्बे समय जेल में हैं।

रमाकांत यादव पर आरोप- रमाकांत यादव के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से नौ मुकदमे ट्रायल पर हैं। रमाकांत यादव के प्रतिनिधि भीम सेन ने बताया कि जहानागंज में इवीएम चोरी और लूटने का मुक़दमा उनको जेल भेजे जाने के लगभग 6 महीने बाद आया है। तहबरपुर,पवई, फूलपुर में आचार संहिता के उलंघन का मुक़दमा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है रमाकांत यादव के खिलाफ पंजीकृत मुकदमों में से चार मुक़दमे ऐसे हैं जिनमे नाम तो रमाकांत यादव लेकिन वल्दियत और पता किसी और की है

गायत्री प्रसाद प्रजापति-

सुल्तानपुर जैसे सामंती क्षेत्र में प्रतिरोध की पताका लहराने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सके। गायत्री प्रसाद प्रजापति एक लम्बे समय जेल में हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा से विधायक हैं।

गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगे आरोप

समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप के मामले में 10 नवंबर 2021 को उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है।

मुख़्तार अंसारी-

गाजीपुर में सामंतवादी ताकतों को टक्कर देने वाले कद्दावर नेता मुख्तार अंसारी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लगभग जेलें देख ली है। अंसारी परिवार से वे अकेले नहीं हैं जो जेल में हैं, उनके बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी भी जेल में हैं|

मुख़्तार अंसारी पर लगे आरोप-

अंसारी 15 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। अंसारी पर जन्मतिथि में फेर बदल और फर्जी कागजात लगाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप सहित जमीन हड़पने, जबरन वसूली और हत्या के करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

कुलदीप सिंह सेंगर –

उन्नाव की वांगरमउ सीट से भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की छवि दल बदलू नेताओं की है। बसपा,सपा और भाजपा से सेंगर चार बार

विधायक बन चुके हैं। कुलदीप सिंह सेंगर सामंती छवि के नेता है प्रधान से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक के चुनावों में उनका हस्तक्षेप रहा है। सेंगर की बड़ी राजनीतिक रसूख होने के कारण पुलिस भी सेंगर पर कार्यवाही करने से बच रही थी।

कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप-

कुलदीप सिंह सेंगर का बहुत पुराना और लम्बा अपराधिक रिकार्ड नहीं रहा है। सेंगर की मुसीबतें उन्नाव बलात्कार कांड के बाद बढ़ी, उन्नाव बलात्कार कांड से पहले सेंगर पर एक मुकदमा दर्ज था, जैसा कि उसने अपने चुनावी हलफनामे में घोषणा की थी। वह उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य प्रतिवादी है और उस पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी का दोषी ठहराया गया है। उस पर तीन लोगों की हत्या करने का भी आरोप है। उन्नाव रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

जेलों में रहने वाले वे नेता जो इस समय जेल से बाहर हैं

ब्रज भूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से सोलहवीं लोक सभा के लिए कैसरगंज से वर्तमान में सांसद हैं। वे अब तक छः बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान में वे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। ब्रज भूषण शरण सिंह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है है कि उनके खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीडन के बाद भी वे खुले आम खूम रहे हैं। बड़ी मुस्किल से FIR दर्ज हुई।

ब्रज भूषण शरण सिंह पर लगे आरोप

बृजभूषण शरण सिंह जब बीजेपी से पहली बार 1991 में पहली बार सांसद बने तब उनके ऊपर ही उनके ऊपर करीब 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्तमान में उनके ऊपर तकरीबन 40 मुक़दमे दर्ज हैं। इसी वर्ष दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर दो केस दर्ज किए थे। पहला केस उन पर एक महिला के साथ यौन शोषण, धमकाने, पीछा करने के लिए दर्ज किया था। जबकि दूसरा केस उन पर पॉक्सो अधिनियम धारा दस के तहत दर्ज हुआ था।

अजय कुमार मिश्रा टेनी

बाहुबली ब्राहमण नेता अजय कुमार टेनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री हैं। वह उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं । टेनी का नाम सुर्ख़ियों में तब आया जब सितंबर 2021 में, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और काला झंडा दिखा रहे किसानो को मंच से धमकी देते हुए कहा था, ***'सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे, दो मिनट लगेंगे केवल'*** इसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी कार चढ़ा दी जिसमे चार किसानो सहित एक पत्रकार की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

टेनी पर आरोप-

टेनी की आपराधिक डोर बहुत लंबी है, 1990 में ही इन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, 1996 में हिस्ट्रीशीटर घोषित किए गए, जिसकी नोटिस बाद में रद्द हो गई। वहीं 2000 में हत्या मामले में इन पर मुकदमा हुआ, जिस पर ये निचली अदालत से बरी हो गए मगर मामला अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है। टेनी जेल से बाहर हैं।

धनजय सिंह-

बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखते हैं। उनके राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप होते हुए भी उन्हें वर्ष 2018 तक वाई श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी। धनंजय सिंह 2002 में पहली बार जौनपुर के रारी विधान सभा से पहली बार निर्दलीय विधायक बने। निषाद पार्टी के टिकट पर 2007 में वे बार फिर से विधानसभा पहुंचे 2009 में बसपा के टिकट पर वे लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए। अभी जेल से बाहर है।

धनजय सिंह पर आरोप-

करीब पन्द्रह साल की उम्र में ही धनजय सिंह पर एक टीचर की हत्या का आरोप लगा। इस घटना को अभी दो साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम जुड़ा। इस घटना के बाद उनके ऊपर 50 हज़ार रूपये का इनाम भी घोषित कर दिया। वर्ष 2018 तक धनजय सिंह पर हत्या के सात मामलों समेत 24 आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप था।

बॉक्स जेल से निकलते ही

अतीक अहमद

पांच बार के विधायक एवं एक बार सांसद रह चुके माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जब तक गुजरात की साबरमती जेल में थे तब तक सुरक्षित थे। जैसे ही जेल से निकाल कर उन्हें प्रयागराज में पेशी के लिए लाया गया, उसी दौरान 15 अप्रैल 2023 को जाँच के लिए पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाने के दौरान, गोली मार कर हत्या कर दी गई। अतीक पर विभिन्न धाराओं में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक अहमद का पहला आपराधिक रिकॉर्ड 1979 में था। अतीक अहमद की हत्या मीडिया में खूब वायरल हुई । गोलीबारी के समय दोनों भाई पुलिस कर्मियों से घिरे हुए थे। तीनों अपराधियों ने खुद को मीडियाकर्मी बताया था और हत्या करने के बाद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि " जय श्री राम " का नारा लगाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया।

ब्रजेश सिंह-

अपराध की दुनिया से राजनीति में आने वाले बाहुबलियों की लिस्ट लंबी है। इन बाहुबलियों में एक नाम ब्रजेश सिंह का भी है, ब्रजेश सिंह का दबदबा ये है कि जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2022 में अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी बना दिया। साल 2016 में जेल में रहते हुए बृजेश सिंह ने वाराणसी MLC सीट से निर्विरोध चुनाव जीता। ब्रजेश के परिवार का 25 साल से वाराणसी की MLC सीट पर कब्जा है। अभी वे जेल से बाहर है।

आरोप -

ब्रजेश सिंह पर मकोका, टाडा, गैंगस्टर एक्ट, हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश जैसे तमाम मुकदमे दर्ज हो चुके थे 2008 में गिरफ्तार हुए ब्रजेश के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। हत्या के मामले हों या दूसरे केस, ज्यादातर में गवाह पलट गए। धीरे-धीरे मुकदमों में ब्रजेश को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि बीते साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बृजेश सिंह को 13 साल जेल में गुजारने के बाद बेल मिल गई। चंदौली का सामूहिक हत्याकांड में माफिया बृजेश सिंह को एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोपी बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट बृजेश सिंह को 2018 में बरी कर दिया था नवम्बर 2023 में हाई कोर्ट ने भी ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया|

क्या था चंदौली का सामूहिक हत्याकांड

चंदौली जिले में 37 साल पहले 10 अप्रैल 1986 में एक ही परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सिकरौरा के प्रधान रामचंद्र यादव के साथ ही उनके भाई रामजन्म और सियाराम और चार छोटे बच्चों की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। वारदात की वजह जमीन संबंधी विवाद और ग्राम प्रधानी के चुनाव से जुड़ी रंजिश बताई गई थी। रामचन्द्र यादव की पत्नी हीरावती की तहरीर पर बृजेश सहित 13 को आरोपी बनाया गया था। शुरुआत में यह मामला बृजेश के बालिग और नाबालिग होने को लेकर अटका रहा था। तत्कालीन वाराणसी जिले के बलुआ थाना क्षेत्र की घटना बताई गई। हालांकि, घटनास्थल बाद में चंदौली जिले में आ गया।

पीड़िता की बेटी शारदा चश्मदीद गवाह

इस मामले में चार नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस घटना की जांच पूरी होने के बाद बृजेश सिंह समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बताया जाता है कि इस हत्याकांड में पीड़िता हीरावती की बेटी शारदा भी घायल हो गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट में हीरावती की तरफ से दाखिल अपील में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने हीरावती की बेटी शारदा के बयान पर गौर नहीं किया। जबकि शारदा इस नरसंहार में गंभीर रूप से घायल हुई और वही इस घटना की चश्मदीद भी थी। उस समय ट्रायल कोर्ट ने शारदा के बयना को आधार नहीं माना था और कहा कि घटना के समय अंधेरा था।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को किया था बरी

इस घटना की जांच में पुलिस को लालटेन और टॉर्च सहित रोशनी के लिए इस्तेमाल हुई सामग्रियों प्राप्त हुई थी। यही नहीं खुद विवेचक ने यह बयान दिया था कि उसने आरोपी बृजेश सिंह को घटना के समय पकड़ा था, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यही नहीं पुलिस एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या मामले में किसी को भी सजा नहीं दिला पाई थी। यहां तक कि विवेचक द्वारा दर्ज बयान भी ट्रायल कोर्ट में नहीं पढ़ा गया था। इसके साथ ही हीरावती के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट में पेश की गई दलीलों में बार-बार यह बात दोहराई बृजेश सिंह समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इसलिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सभी आरोपियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था फैसला

इलाहबाद उच्च न्यायलय के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल, इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व किया था। जिसके बाद पीड़ित परिवार की महिला हीरावती और यूपी सरकार ने ट्रायल

इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 के फैसले में माफिया बृजेश सिंह सहित सभी 13 आरोपियों को बरी किया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला इस फैसले को सुरक्षित किया।

हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष असंतुष्ट

हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की सभी दलीलों को सही न मानते हुए बृजेश सिंह समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया और सिर्फ चार आरोपियों को ही दोषी करार दिया है। इस मामले में बृजेश सिंह को भी अदालत में तलब किया गया था। जहां आरोपी बृजेश सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता हीरावती के वकील उपेंद्र उपाध्याय का कहना है, वह लोग इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इस फैसले का अध्ययन किया जाएगा और अगर पीड़ित परिवार चाहेगा तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं।

चार आरोपियों को आजीवन कारावास

इलाहाबाद हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह समेत 9 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए सजा से राहत दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए चार अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपी देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। गौरतलब है कि एक ही परिवार के सात लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में इन्हीं चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि इन चारों आरोपियों को बरी करना सही फैसला नहीं था। ▪

कुछ तो ख़ास है संविधान में?

▪ अरविंद कुमार यादव 'ग़दर'

संविधान अपनी विशेषताओं के कारण कुछ लोगों के लोगों की आँखों की किरकिरी बना हुआ है, इसीलिए बार-बार संविधान को बदलने की बात कौन लो हैं जो कर रहे हैं ? इस पर गहन चर्चा की जरूरत है, आइये डालते हैं एक नज़र...

- भारत्त के पूर्व न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के द्वारा यह कहना कि केशवा नन्द भारती के केस को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन पर चर्चा की जा सकती है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने भी संविधान पर प्रश्न खड़ा किया है। 15 अगस्त 2023 को एक दैनिक समाचार पत्र में लेख के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया। भारतीय संविधान को बदलने की बात कही गई है और 2047 तक एक नए भारतीय संविधान की संरचना करने कि बात कही गयी हैं और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान मे कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमे ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए.

उपरोक्त लोग तो जिम्मेदार और संवैधानिक पदों पर थे लेकिन तमाम लोग और भी हैं जो अनर्गल उल्टी पुलटी टिप्पड़ियां भी करते रहते हैं। ऐसे लोगों की पड़ताल किये जाने पर पता चला की इनमें से ज्यादातर ऊँची जातियों के लोग या तो पंडे-पुजारी लोग हैं। जिनमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता बढ़ने वाली भावना का नितांत अभाव दिखता है।

इनमें राम भद्राचार्य हों या बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के अलावा ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका नाम लिया जाना भी समीचीन नहीं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण अधिकारी की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या उनकी सहमति तो नहीं है? क्या ये उसी तरह तो नहीं जैसे फ्रांस की क्रांति से उपजा नेपोलियन बीस सालों में ही फ्रांस की क्रांति का गला घोंट दिया था, लेकिन फ्रांस के लोग क्रांति का स्वाद चख चुके थे और फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का परचम अभी भी लहरा रहा

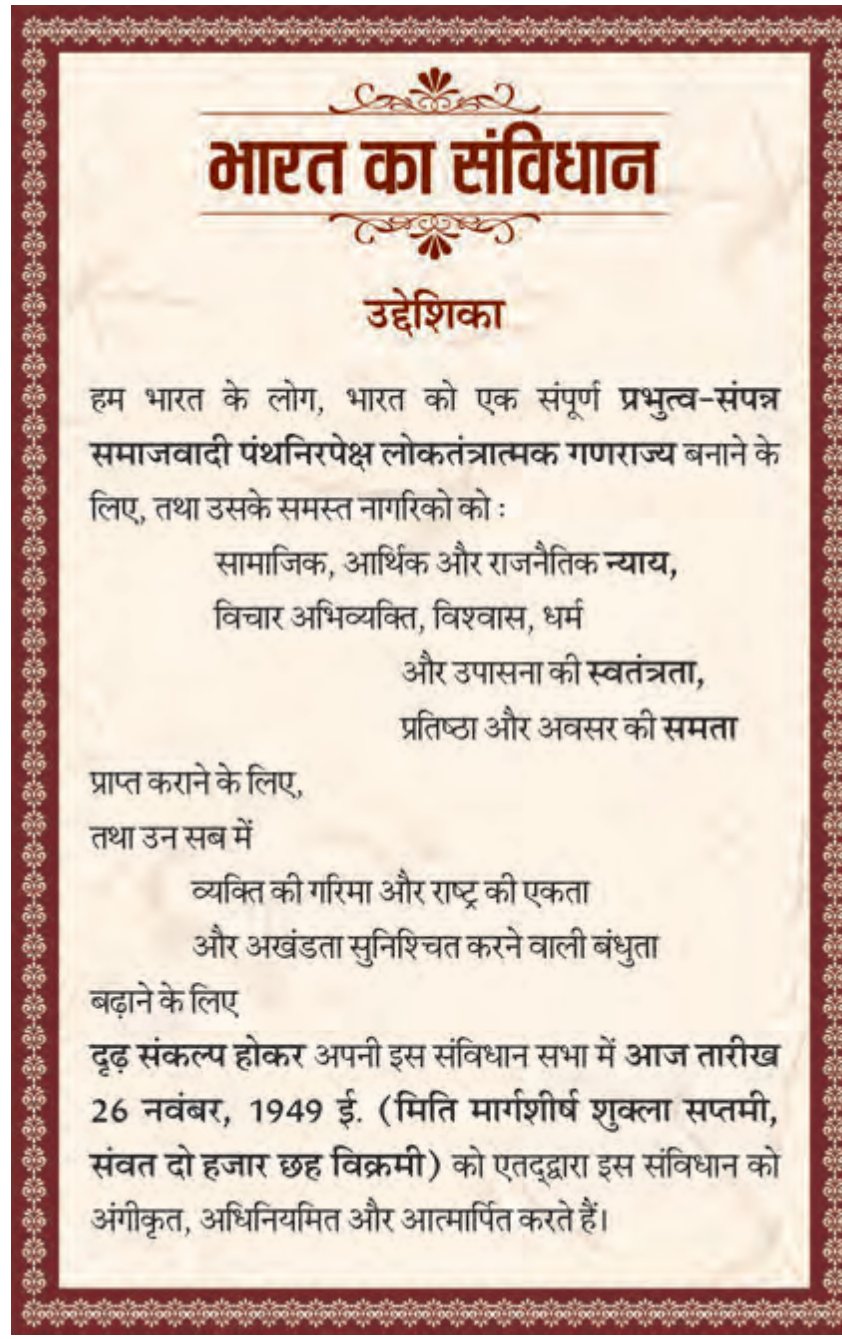

है। अब जाने माने टिप्पणीकार रोहित यादव का मानना है कि कथित रूप से चाय बेचने वाला भारत के संविधान के द्वारा ही भारत का प्रधानमंत्री बना और भारत की लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ये कहना कि भारतीय समाज में अब केवल चार जातियां गरीब, युवा, महिलाएं एवं किसान हैं। **'गरीबी सबसे बड़ी जाति है'** जो इंडियन संविधान की भावनाओं के साथ क्रूर मजाक है। क्योंकि संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीम राव आंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता जाति व्यवस्था थी और प्रधानमंत्री जी भी अपने को नीच जाति का होने की बात करते रहते हैं। इन्हें संविधान बदलने की बात पर खुलकर सामने आना चाहिए जाने माने चिन्तक दिलीप मंडल लिखते हैं कि "प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक डेबरॉय को भारतीय संविधान से बहुत दिक्कत है।

संविधान को बचाने वाले लोग

जब हमने पड़ताल की कि संविधान का विरोध करने वाले चंद मनुवादियों की तुलना में संविधान के साथ खड़े होने वालों की फ़ौज है।संविधान विरोधी ताकतों को चुनौती देने के लिए युवा संविधान जन जागरण यात्रायें निकल रहे हैं। देश भर में आये दिन संविधान को लेकर कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है संविधान को जन जन तक पहुंचने के के लिए राम लौट बौद्ध ने एक लाख घरों तक संविधान पहुँचाने के लिए संकल्पित हैं और वे तकरीबन 20 हज़ार घरों में संविधान पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। विवेक देबरॉय पर टिप्पड़ी करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू पसाद यादव ने अपने X पर यहाँ तक लिखा कि लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है बिबेक देबरॉय। वह बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की मर्ज़ी से यह सब कहा और लिखा जा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली मोदी सरकार अब संविधान पर हमला कर सीधा संविधान ही समाप्त करने की बात कहने लगी है।'

प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थः

प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया।

हम भारत के लोग–

- इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है अर्थात् दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

संप्रभुता–

- इस शब्द का आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

समाजवादी–

- समाजवादी शब्द का आशय यह है कि 'ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।

पंथनिरपेक्ष–

- 'पंथनिरपेक्ष राज्य' शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

लोकतांत्रिक–

- संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। व्यस्क मताधिकार, समाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।

गणतंत्र–

- प्रस्तावना में 'गणराज्य' शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं 'वंशागत लोकतंत्र' तथा 'लोकतंत्रीय गणतंत्र' में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।
- गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिये चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं।
  - पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती हैं।
  - दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिये हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिये खुला होगा।

स्वतंत्रता–

- यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है।

न्याय–

- न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है- सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय।
- सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव-मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो।
- आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए।
- राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

समता–

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती हैं जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध।

बंधुत्व –

- इसका शाब्दिक अर्थ है- भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ▪

दीपावली स्पेशल
प्रकाश पर्व के बहाने

▪ बसावन इंडिया डेस्क

जब मानव ने पहली बार आग जलाई होगी तो यह उसकी कल्पनाओं से परे रहा होगा कि भविष्य में आग मानव सभ्यता की धुरी बनेगा। आग का अविष्कार मानव जीवन की क्रन्तिकारी घटना थी। आग के अविष्कार के बाद ही मानव जीवन में क्रन्तिकारी परिवर्तन आये। इसके बाद से मनुष्य ने कच्चे मांस/ आनाज के स्थान पर पके हुए भोजन का सेवन किया। आग और आग जलाने की विधियों ने उसे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। जहाँ रॉकेट में लगी आग से वह मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब रहा वहीँ हवाई जहाज में ईंधन से वह दुनिया के किसी भी कोने में थोड़े ही समय में पहुंचने में सक्षम हो गया।

आग की खोज के क्रम में दिए का अविष्कार किया गया होगा। आग और उसका प्रकाश देर तक टिके रहे चलते रहे, जलते रहे, इसके लिए कुशल जलाने वालों की जरुरत हुई, इसी जरुरत ने मानव को वैज्ञानिक बनाया होगा और लकड़ी लगातार जलती रहे-उजाले / प्रकाश के लिए यह सतत म्हणत का कार्य रहा होगा|

घी के खोजकर्ता और घी के दिए

प्रकाश आज बिजली से मिलता है, और कई बार महीनों या साल भर तक बिजली जलती रहती है लेकिन याद कीजिए 30-40 साल पहले जब गाँव में आग को जिलाकर के रखा जाता था और गाँव भर के लोग मांगें-माँग कर, आग ला-कर चूल्हा जलाते थे। कल्पना कीजिए 300-400 साल पहले जब किरोसिन आयल या मिट्टी का तेल सतत रोशनी का सबसे बड़ा साधन बना। कल्पना

फणीश्वर नाथ रेणु की हिंदी कहानी पंचलाइट आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। यह कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के गिर्द घूमती है। गाँव के एक युवक गोधन का मुनरी नामक लड़की से प्रेम है जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसका बहिष्कार कर रखा है। एक दिन मेले से गाँव वाले सार्वजनिक उपयोग के लिये पेट्रोमैक्स (जिसे वहाँ के लोग अंगिका में पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं) खरीद कर लाते हैं। सभी उत्साह में हैं लेकिन तभी पता चलता है कि इसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं। गाँववालों के भोलापन और पेट्रोमैक्स जलाना न आने के कारण हास्य की स्थिति पैदा होती है। दूसरे गाँव के लोग उपहास करने लगते है। तब मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि गोधन को आता है पंचलाइट जलाना। पंच लोग दूसरे गाँव से पंचलाइट जलाने के लिये किसी को बुलाने की बेइज़्ज़ती से बचने के लिये अंततः गोधन को माफ कर देते हैं और उसका हुक्का-पानी बहाल कर दिया जाता है। और उसे सनीमा का गाना गाने की छूट भी मिल जाती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है अब से करीब तीस वर्षों पूर्व जब कार्यक्रमों में जेनरेटर का प्रयोग बहुत कम होता था तब उजाले के लिए पंचलाइट का ही उपयोग किया जाता था। पंचलाइट जलाना भी एक कला थी हर कोई इसे नहीं जनता था। अपनी इसी कला के बदौलत पंचलाइट कहानी के नायक गोधन ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया। पंचलाइट (पेट्रोमैक्स) जलाने पर उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया गया। गांव वालों की नजर में उपयोगी और हीरो बन गया|

आज आग जलना बहुत आसान लग रहा है लेकिन सोचिए कि आज से 30 साल पहले यह कितना महत्वपूर्ण और कठिन कार्य था, ठीक उसी प्रकार आज से कई सौ सालों पूर्व दिया जलाने का कार्य कैसा रहा होगा? दिए जलाने वालों को कितना सम्मान और इज्जत मिलती रही होगी!

आग जलाते हुए आदिम मानव

बौधों का दीपदान उत्सव

बौद्ध उपासक-उपासिकाओं द्वारा दीपदान उत्सव जाता है। बौद्ध धम्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जब 17 वर्ष अनुयायियों के साथ अपने गृह नगर कपिल वास्तु लौटे तो उनके स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपदान उत्सव मनाया गया था। बौद्ध उपासक महात्मा बुद्ध के " अत्ता दीपो भव "उपदेश के माध्यम से बौद्धों के रूप में त्योहार की प्रामाणिकता का दावा करते हैं, जिसका अर्थ है "अपनी रोशनी स्वयं बनो।" इसलिए, दीप का प्रकाश बौद्ध दार्शनिक परंपरा में अंतर्निहित है। यह दीपदान उत्सव को नया आयाम प्रदान करता है । दीपदान उत्सव अमावस्या को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर कपिलवस्तु वापस आए थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में घोषणा की थी कि 84 हजार स्तंभों पर कार्तिक अमावस्या की दीप जलाएं।

सिखों का प्रकाश पर्व

गुरु नानक देव जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, कहते हैं कि इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधारक के रूप में समर्पित कर दिया। उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच और भेद-भाव को मिटाने के लिए खास कदम उठाए थे। इंसानियत के नाम पर लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उपदेश दिए थे। नानक साहब ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया था और इसी वजह से उनकी जयंती हर साल प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सिख धर्म के लोग लोग गुरुद्वारे जाकर गुरुग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं|

कीजिए कि सतत रौशनी की मशाल किसने जलाए रखी। वो घी और तेल का अविष्कार जलाने के लिए शोध अध्ययन का विषय है। घी और तेल जो आज मोटापे का कारण बन रहा है, कभी सेहत और रौशनी का सबसे बड़ा साधन थे|

कैसे बना घी ? कैसे बना तेल? भैस-गाय-बकरी-भेड़ को कब पालतू बनाया गया, कैसे पालतू बनाया गया यह इतिहास की हजारों साल की यात्रा थी। जिन लोगों ने भैस के दूध की मानव जाति के लिए उपयोगिता तय की होगी, उनका नाम इतिहास में लिखा जाना बाकी है। दूध से दही बना बायोकेमिस्ट्री की उस लैब में जो गुमनाम वैज्ञानिक थे उनके वंशज आज इसी धरती पर भैंस-गाय बकरी चरा रहे हैं। ये इंडिया जिसके वैज्ञानिकों का कभी डंका बजता रहा होगा, जिन्होंने हड़प्पा जैसे नगर बसाए, क्या उन्ही लोगों से मिलते जुलते जेनेटिक लोगों ने दही से मथ कर घी निकला होगा? और सबसे बढ़कर इतने कीमती घी को आग में डालने वाला वो जाबांज, उत्साही, साहसी वैज्ञानिक जिसने आग में घी डालने का प्रयोग किया। यह निष्कर्ष निकला कि घी लगातार रौशनी दे सकता है। उस पर रोशनी आने वाले वक्त में जरूर डाली जाएगी। जब देश में चरवाहा- हरवाहा विश्वविध्यालय बनेंगे लेकिन रौशनी के इस अनोखी खोज को जन जन तक पहुँचाने और उसके ज्ञान की पहुँच सब तक बनाए रखने के लिए अमावस की रात का उत्सव मनाया गया होगा क्यों कि थोड़े घी में बने दिए में 10-20 नहीं बल्कि 50-100 लोग न केवल बैठ बल्कि नाच गा सकते रहे होंगे। बाकी लोग रौशनी के उत्सव को चाहे जैसे लें लेकिन भैंस, बकरी, भेड़, गाय, सूअर, ऊंट चराने वाले लोगों के लिए रौशनी के उत्सव को किसी और तरीके से देखा जाना बहुत कम तार्किक है।

घी की रोशनी की यात्रा में तेल का छौंका कब लगा, यह भी बहुत रोचक हो सकता है। घी की मानव सभ्यता की यात्रा यही बताती है कि पशुपालन अर्थव्यवस्था के बाद खेती बारी की अर्थव्यवस्था पली बढ़ी। जंगलों- पहाड़ों- पठारों और गंगा-यमुना के विशाल मैदान में कौन से पौधे के बीज से तेल निकाला गया, उसे चखकर खाने योग्य बनाया गया, इसके लिए हजारों नहीं लाखों लोग तेल पेरने चले गए होंगे। वो सरसों, तिल, तीसी, मूंगफली या जिसका भी तेल निकाला गया, वो इतिहास की यात्रा में शामिल है, भले ही इतिहास के पन्नों में गायब हो। चखने और मानवता के लिए उपयोगी तेलों का पता लगने के बाद इसे निरंतर पेरना-तेल निकलना निहायत कुशल कार्य रहा। देश में तेल निकलने वाले लोगों का शायद वही मान रहा होगा जो आज इसरो के वैज्ञानिकों का या एम्स के डाक्टर का। लेकिन बल्ब के साथ इसका भाव गिरना और तेली कब "तेलिया मसान खोपड़ी" का डर समाज में पैदा हुआ, यह तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए रोचक हो सकता है, लेकिन घी के बाद आग में तेल डालना/लगाना या कि तेल में बाती दे कर दिया बनाना और उसे निरंतर रोशनी का साधन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलामी आज भी दी जा सकती है। वही सरसों, तीसी, रेड़ी आदि का तेल घी के साथ दिए जलाने से लेकर पुड़ी पकवान में भी घी का विकल्प बन कर उभरा और सबको मालिस करने-कराने और सेहत बनाने में भी सहायक बना। ये अलग बात है कि तेल के कारीगर- वैज्ञानिक कब और कैसे मुँह दिखने काबिल नहीं और अपशकुन का माध्यम बने। यह भी अध्ययन और शोध का विषय है।

धीरे धीरे रोशनी के कार्य से घी और तेल बाहर हुए क्यों कि वाट जैसे वैज्ञानिक, परमाणु उर्जा जैसे ईंधन के बाद 24x7 बिजली जो आ गई है लेकिन खाने और सेहत बनाने में घी और तेल अब भी नंबर वन है। ▪

पुस्तक समीक्षा-निषाद समाज का वृहत इतिहास

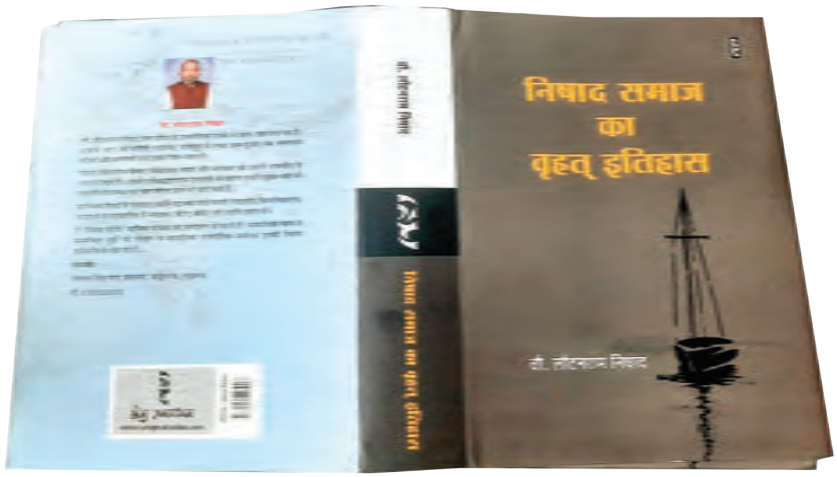

किताब - निषाद समाज का वृहत इतिहास
लेखक - चौ. लौटन राम निषाद
समीक्षक - रोहित यादव
मूल्य - 1800

इतिहास वह प्रेरक शक्ति है जिससे मानव प्रेरणा लेकर वर्तमान से संघर्ष किया करता है अपने भविष्य को सँवारता है। दुर्गम पथ को सुगम बनाता है। अपने अस्तित्व के सुरक्षा कवच का निर्माण करता है।

'निषाद जाति का वृहत् इतिहास' भारतीय संस्कृति और इतिहास की उन प्राचीनतम परतों की पड़ताल है, जिन्हें आर्य संस्कृति के नीचे दबा दिया गया है। या यूँ कहें कि सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया के दौरान हड़प लिया गया है। इसकी पुष्टि सुनीति कुमार चटर्जी, कुबेरनाथ राय, रांगेय राघव, आचार्य चतुरसेन सहित विदेशी मूल के अनेक ख्यातिनाम लेखकों/इतिहासकारों के अलावा उन धर्म- ग्रन्थों से भी होती है, जिन्हें आज भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है।

सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जिसे आज भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा आग्नेय जातियों की देन है। भारत में निषाद उस जाति-समूह की सबसे बड़ी कड़ी रहे हैं। अपनी पुस्तक 'इण्डोआर्यन एण्ड हिन्दी' में उन्होंने बताया है कि में आग्नेय लोग आदिम रूप से खेती-बाड़ी करते थे, बीस-बीस करके गिनती करते थे, हिन्दी में 'कोड़ी', बंगाली में 'कुड़ी' या 'कुरी' जैसे शब्द इसी से निकले हैं। उन्होंने ही चावल और शाक-सब्जियों की खेती की शुरुआत की। आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पर्याय बन चुके अनेक शब्द जैसे 'कुदाल', 'हरिद्रा' (हल्दी), अदरक, बैंगन, कद्दू (लौकी, कुम्हड़ा), पान, सिन्दूर जैसे शब्द आग्नेय (निषाद जाति समूह) भाषाओं की ही देन हैं। यही नहीं, 'गंगा' शब्द भी उन्हीं की जनभाषा से आया है, मूल शब्द 'खोंग 'कियांग' हैं। नदियों को देवी की तरह पूजना भी उन्होंने ही सिखाया। मातृदेवी की पूजा के जनक भी वही माने गये।

निषाद वंश की जातियाँ इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अनभिज्ञता के परिणामस्वरूप न तो अपने को बचाने का इन्तजाम कर पायी हैं; और न ही अपने पिछड़ापन को दूर करने हेतु संघर्षशील हो पायी हैं। इस अभाव को दूर करने के लिए निषाद नस्लीय जाति के क्रमवत् इतिहास की खोज करना परिस्थितिजन्य समस्या है। अस्तु इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत हमने यह प्रयास किया है। इस क्रम में मुझे अथक परिश्रम के साथ अन्वेषण व्रत को पूर्ण करने में 30 वर्ष खपाने पड़े हैं। वैसे जोड़-तोड़ करके कुछ भी लिखा जा सकता है। किन्तु प्रमाणोंएवं साक्ष्यों के अभाव में कोई भी इतिहास सजीव नहीं बन सकता है।

सेतु प्रकाशन के अंतर्गत छपी यह पुस्तक 13 खंडो में विभक्त है जिसमे 95 चैप्टर हैं। 622 पृष्ट की यह पुस्तक इतिहास और समाजशास्त्र के शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पुस्तक की खूबी है कि घोषित इतिहास की शैली में न लिखी होने के बावजूद यह अपने एक-एक शब्द के लिए इतिहास की प्रामाणिकता लिये हुए है। उसी के बल पर यह पाठकों के मानस में जगह बनाएगी; तथा भारतीय समाज और संस्कृति के अनछुए पहलुओं पर व्यापक विमर्श का रास्ता तैयार करेगी। ▪

लेखक परिचय

चौ. लौटनराम निषाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलके में जाना-पहचाना नाम है। 8 मार्च 1971 को सरौली, नन्दगंज, गाजीपुर में इनका जन्म हुआ। स्मृतिशेष बनताराम चौधरी और सरस्वती देवी इनके पिता-माता हैं।

चौधरी लौटनराम निषाद सामाजिक न्याय और सरोकार को अपनी राजनीति के केन्द्र में रखते हैं। अपनी प्रतिबद्धतापरक राजनीति के कारण इन्होंने मुख्य धारा की राजनीति के समक्ष कई बार जटिल प्रश्न भी खड़े किये हैं। लेखक चौधरी लौटनराम निषाद, लेखक और पत्रकार के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अति सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वे अपनी बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं। चौधरी लौटनराम निषाद की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही हुई है। इन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये 'निषाद ज्योति' मासिक पत्रिका का सम्पादन भी करते हैं। सामाजिक न्याय से सम्बन्धित मुद्दों पर लेखन व सामाजिक राजनीतिक-समीक्षा इनकी विशेष अभिरुचि के क्षेत्र रहे हैं।

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : .....

पता पिन कोड सहित : .....

मोबाईल नं. : ..... ईमेल आईडी : .....

नगद राशि शब्दों में : .....

PhonePe ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 500/- ☐ 2 वर्ष ₹ 1000/- ☐ 5 वर्ष ₹ 2500/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10, 000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

मैगजीन को मैंने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छी मैगजीन है। स्टैण्डर्ड है इसका। इसमें स्टोरी का संकलन अच्छा है। इसका पेपर बेमिशाल लगाया है यह पूरी तरह से अपने मकसद में लगी हुई है। यह अपना स्तर कायम किये हए है हमारी शुभकामनाये पत्रिका के साथ है। मैगजीन में छपे लेख विश्वकर्मा श्रम सम्मान के बहाने पेरियार साहब के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मिली। एक तरह से ताकत मिली और तर्कों के मामले में मै समृद्ध हुआ। अंध विश्वासों के खिलाफ यह सशक्त रूप से डटी हई है।

मुमताज
सामाजिक कार्यकर्त्ता
लखनऊ

बसावन इंडिया का नवम्बर 2023 अंक आज मिला। आज ही पूरी पढ़ गया। पत्रिका एक अच्छा प्रयास है जो सराहनीय है। पत्रिका में राजनीतिक विश्लेषण बढ़ियां है। मणिपुर और छत्तीसगढ़ पर जानकारी सटीक और सामयिक है। दुःखद है कि पत्रिका को केवल एक ऐड मिला है। प्रूफ रीडिंग पर और ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। पत्रिका एकरस न हो इसके लिए खेल, फिल्म, अर्थव्यवस्था आदि के लिए भी कम से कम एक- एक पेज रखा जाए।

अतुल यादव
जौनपुर

बसावन इंडिया का नवंबर अंक पढ़ कर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सारगर्भित लेख हैं। आप लोगों ने गागर में सागर भरने का सार्थक प्रयास किया है। आशा करते हैं की भविष्य में भी बसावन इंडिया में इसी तरह के ज्ञानवर्धन करने वाले लेख पढ़ने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद।

चौ० अनिल दीप
लाला बाजार जौनपुर

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

एडवोकेट देशराज (लखनऊ)
9415767238

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

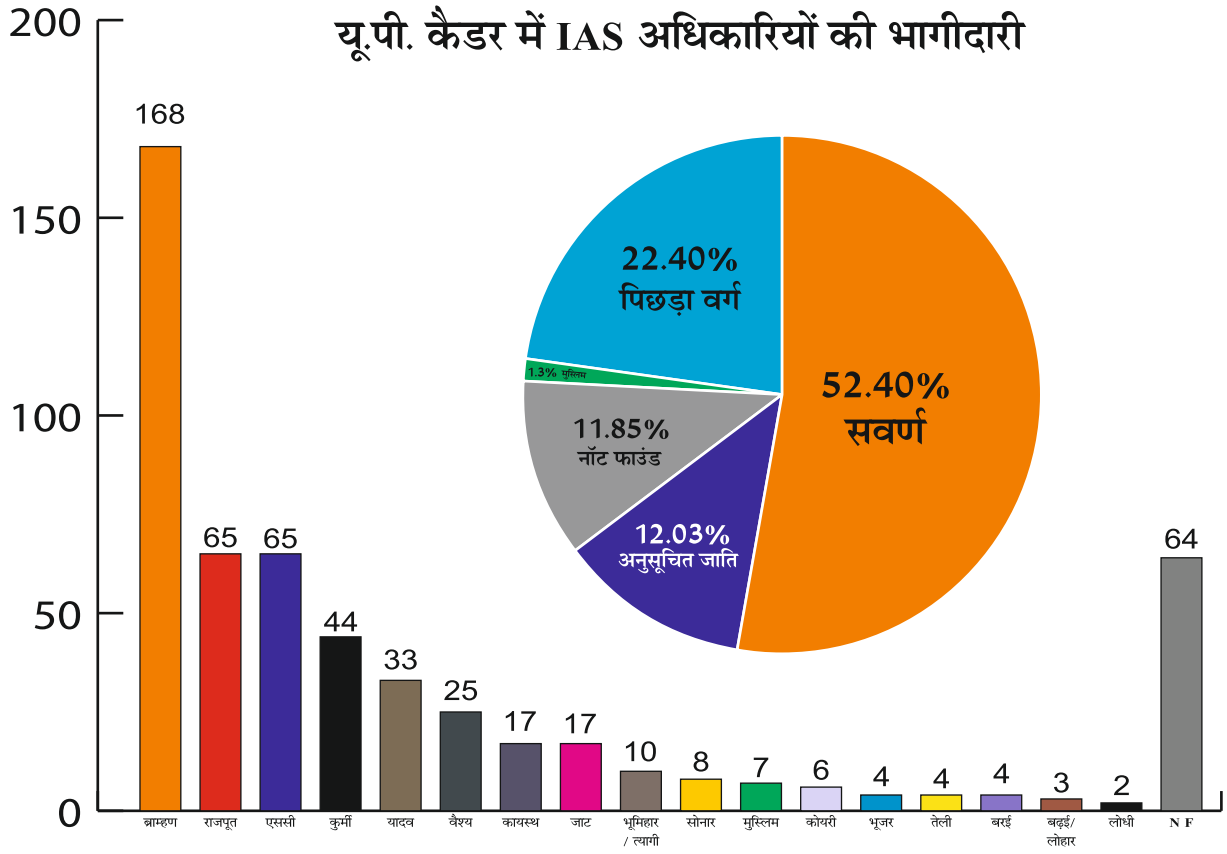

ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 21 पढ़ें।

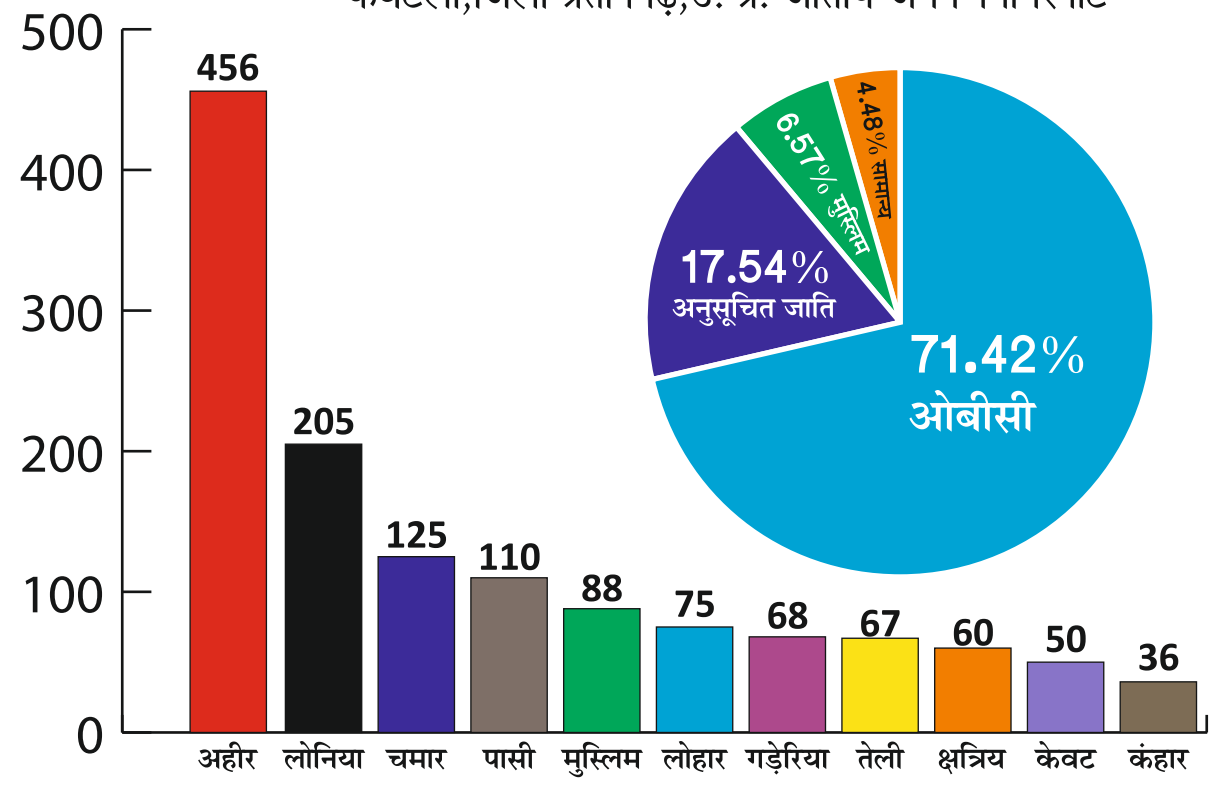

ग्राफ के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 19 पढ़ें।

यू.पी. की भाजपा सरकार में मुख्य सचिव

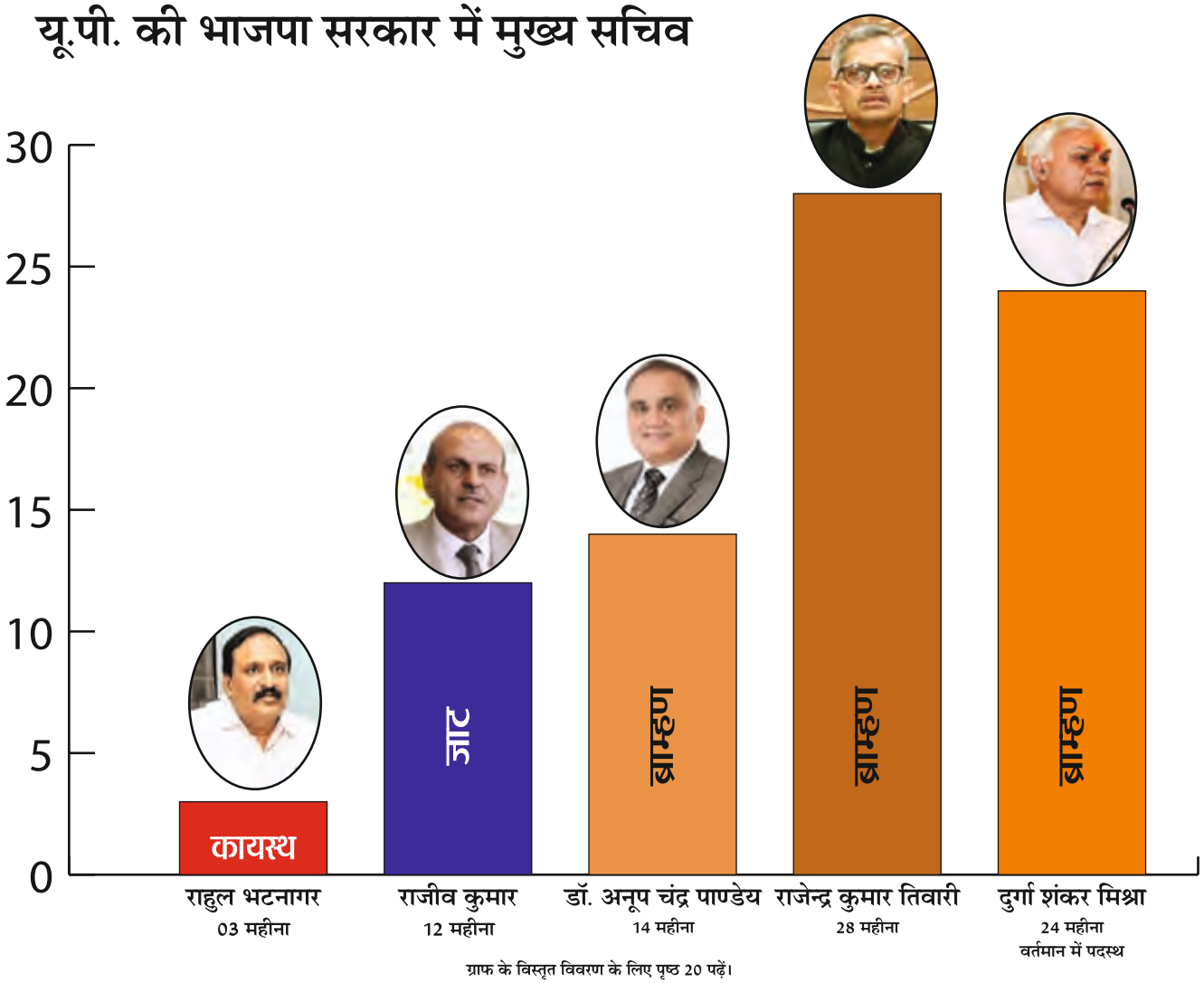

ग्राफ के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 20 पढ़ें।